भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 437 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 228 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सेवा ग्रामीण (शिक्षा, कल्याण और कार्रवाई-ग्रामीण), डाकखाना झागड़िया, जिला भरुच-393110" द्वारा "ग्रामीण निर्धन और जनजातिओं के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, गरीबी के उन्मूलन के लिए 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय देने वाली गतिविधियां, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योगों) का संवर्धन और निम्न लागत के मकानों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण लागत के मकानों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण निर्धनों को सहायता के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1994-1995 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 6 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 6.06.1996 की अधिसूचना सं. सां. आ. 403(अ0) के तहत निर्धारण वर्ष 1997-98 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 10.09.1999 की अधिसूचना सं. सां. आ. 748(अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 10.09.2002 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 986 (अ0) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 04.04.2006 की अधिसूचना सं. सां. आ. 508(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 को आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में

दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1297(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1383(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि दिनांक 10 सितंबर, 2002 की अधिसूचना सं. सां. आ. 986 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 418.50 लाख रुपए से 100.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 518.50 लाख रुपए तक बढ़ाया गया था और जबकि दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1383 (अ0) द्वारा परियोजना लागत को '100 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 518.50 लाख रुपए' से '205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 918.45 लाख रुपए' तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 918.45 लाख रुपए से परियोजना लागत को 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2297 लाख रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 918.45 लाख रुपए से 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2297 लाख रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "सेवा ग्रामीण (शिक्षा, कल्याण और कार्रवाई-ग्रामीण, डाकखाना झागड़िया, जिला भरुच-393110" द्वारा चलाई जा रही "ग्रामीण निर्धन और जनजातियों के

लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, गरीबी के उन्मूलन के लिए 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच जनजातिओं और ग्रामीण निर्धनों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय देने वाली गतिविधियां, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योगों) का संवर्धन और निम्न लागत के मकानों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण लागत के मकानों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण निर्धनों को सहायता के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(ख) दिनांक 17 मार्च, 1994 की उक्त अधिसूचना सं. सां. आ. 228 (अ0) की उक्त अधिसूचना को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 6, कालम (4) के सामने सारणी में, '205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 918.45 लाख रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2297 लाख रुपए अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 67/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना),
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th 11th February, 2015

S.O. 437 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.228(E) dated the 17th March, 1994, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, " Integrated Rural Development through health and medical services for rural poor and tribals, vocational training to tribals and rural poor between age 15 to 35 years for poverty alleviation, income generation activities for development of woman, promotion of gramodyog (cottage industries) for poverty alleviation and help to rural poor for constructing low cost houses" by "SEWA-Rural (Society for Education, Welfare and Action-Rural), At & Post Office Jhagadia, District Bharuch-393110", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-1995; which was extended further vide notification number S.O.403(E) dated the 6th June, 1996 for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998; which was extended further vide notification number S.O.748(E) dated the 10th September, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001; which was extended further vide notification number S.O.986(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.508(E) dated 4th April, 2006 for period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O. 1297(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O.1383(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O.986(E) dated the 10th September, 2002 the estimated cost was enhanced from Rs. 418.50 lakh to Rs.518.50 lakh including a corpus find of Rs.100.00 lakh and whereas by notification number S.O.1383(E) dated 14.6.2011 the project cost was enhanced from 'Rs.518.50 lakh including corpus fund of Rs.100 lakh' to 'Rs.918.,45 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the project cost of Rs. 918.45 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh is likely to be amended as Rs.2297 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 918.45 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh to Rs.2297 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Integrated Rural Development through health and medical services for rural poor and tribals, vocational training to tribals and rural poor between age 15 to 35 years for poverty alleviation, income generation activities for development of woman, promotion of gramodyog (cottage industries) for poverty alleviation and help to rural poor for constructing low cost houses" being carried out by "SEWA-Rural (Society for Education, Welfare and Action-Rural), At & Post Office Jhagadia, District Bharuch-393110", for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O.228(E) dated the 17th March, 1994, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs 918.45 lakh including a corpus fund of Rs 205 lakh" the letters, figures and word "Rs.2297 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh" shall be substituted.

[No. 67 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 439 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019'' द्वारा ''भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल गुवाहाटी का विस्तार और तलों की वृद्धि'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ''भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019'' द्वारा चलाई जा रही ''भारत सेवाश्रम अस्पताल गुवाहाटी का विस्तार और तलों की वृद्धि'' की परियोजना अथवा स्कीम को 3.10 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से

प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 68 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 438 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Expansion and addition of Floors of Bharat Sevashram Sangha Hospital Guwahati" by "Bharat Sevashram Sangha 211, Rash Behari Avenue, Kolkata – 700 019", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.10 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion and addition of Floors of Bharat Sevashram Sangha Hospital Guwahati", which is being carried out by "Bharat Sevashram Sangha 211, Rash Behari Avenue, Kolkata – 700 019", without any change in the approved cost of Rs. 3.10 crore for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 68/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 439 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "दिशा चेरिटेबल ट्रस्ट, 319, रेस कोर्स् टावर्स, गोत्री रोड, बडोदरा 390007-गुजरात'' द्वारा "(क) दिशा विशेष स्कूल और थेरैपी सेंटर, (ख) दिशा ऑटिज्म सेंटर, (ग) कम्युनिटी आधारित पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना सं॰ सां॰आ॰ 1385 (अ॰) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं॰ सां॰आ॰ 1963 (अ॰) द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के **1.24 करोड़ रू0 से बढ़कर 1.24 करोड़ रूपए जमा 2.5 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि'** होने की भी संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 1.24 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 1.24 रू0 करोड़ जमा 2.50 करोड़ रू0 की कॉपर्स निधि करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "दिशा चेरटिबल ट्रस्ट, 319, रेस कोर्स् टावर्स, गोत्री रोड, बडोदरा 390007-गुजरात'' द्वारा चलाई जा रही "(क) दिशा विशेष स्कूल और थेरैपी सेंटर, (ख) दिशा ऑटिज्म सेंटर, (ग) कम्युनिटी आधारित पुनर्वास कार्यक्रम'' की परियोजना अथवा स्कीम को अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 30.10.2008 की उक्त अधिसूचना सं० सां०आ० 2370 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 6 की सारणी के कॉलम 4 में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित "1.24 करोड़ रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों लिए "1.24 जमा 2.50 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 69 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 439 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "a) Disha Special School and Therapy Centre, b) Disha Autism Centre, c) Community based rehabilitation programme" by "Disha Charitable Trust, 319, Race Course Towers, Gotri Road, Vadodara 390007- Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.24 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11; which was further extended vide Notification number 1385 (E) dated 14.6.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O.1963 dated 31.7.2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.1.24 crore' to 'Rs.1.24 crore plus corpus fund of Rs.2.50 crore';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from 'Rs.1.24 crore' to 'Rs.1.24 crore plus corpus fund of Rs.2.50 crore'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 2370(E) dated 3.10.2008, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 1.24 crore", the letters, figures and words "Rs. 1.24 crore plus corpus fund of Rs.2.50 crore" shall be substituted.

[No. 69/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५० (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2370(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सेवा मंडल मेघराज, डाकखाना कासना, ताल मेघराज, जिला साबरकांठा, गुजरात" द्वारा "जनजातीय विकास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 33 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2896(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "सेवा मंडल मेघराज, डाकखाना कासना, ताल मेघराज, जिला साबरकांठा, गुजरात" द्वारा "जनजातीय विकास" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 70/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 440 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3rd October, 2008, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 33, "Tribal Development" by "Seva Mandal Meghraj, AT & PO Kasana , Tal Meghraj, District Sabarkantha, Gujarat", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was subsequently extended vide notification number S.O. 2896(E) dated 27.12.2011 for a period of three years commencing with financial year 2011-12;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Tribal Development" which is being carried out by "Seva Mandal Meghraj, AT & PO Kasana , Tal Meghraj, District Sabarkantha, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 2.76 crore, for a further period of three years commencing with the financial year **2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.**

[No. 70/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५। (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डा. मनोहर डोल मेडिकल फाउंडेशन, डाकखाना नारायणगांव, ताल जुनार, जिला पुणे, महाराष्ट्र-410504" द्वारा "मोहन थुसे आंखों का अस्पताल-अस्पताल विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3 करोड़ रुपए की कार्पस निधि के सहित 17.44 करोड़ रुपए की अनुमोनित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 26 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "डा. मनोहर डोल मेडिकल फाउंडेशन, डाकखाना नारायणगांव, ताल जुनार, जिला पुणे, महाराष्ट्र-410504" द्वारा चलाई जा रही "मोहन थुंसे आंखों का अस्पताल-अस्पताल विस्तार" की परियोजना अथवा स्कीम को 3 करोड़ रुपए की कार्पस निधि के सहित 17.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 71 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 441 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 26, "Mohan Thuse Eye Hospital- hospital expansion" by "Dr. Manohar Dole Medical Foundation, At & Post Narayangaon, Tal Junnar, District Pune, Maharashtra-410504", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 17.44 crore including a corpus fund of Rs. 3 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Mohan Thuse Eye Hospital- hospital expansion" being carried out by "Dr. Manohar Dole Medical Foundation, At & Post Narayangaon, Tal Junnar, District Pune, Maharashtra-410504", without any change in the approved cost of Rs. 17.44 crore including a corpus fund of Rs. 3 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17;

[No. 71 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५२ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदान्त अस्पाताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला थाने -401107 महाराष्ट्र" द्वारा "भक्तिवेदांत मरणासन्न रोगियों का अस्पताल" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 483.46 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 31.7.2014 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1968(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-2017 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ;

और जबकि परियोजना की अनुमोदित लागत के "483.46 लाख रुपए की बजाए" 483.46 लाख रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है, कार्य के कार्यक्षेत्र में (i) स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा का सृजन, चलते-फिरते क्लीनिक, जांच विभाग जैसे निदान, एक्सरे विज्ञान आदि सहित सामान्य बाहरी रोगी सेवाएं (चिकित्सा और सार्जिकल की सभी शाखाएं) और भर्ती रोगी सेवाएं (ii) परियोजना लागत में परियोजना की अनुमोदित लागत में बिना किसी परिवर्तन के मरणासन्न रोगियों के अस्पताल के लिए निर्माण, उपस्कर, सुविधा सृजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए 150 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, के रूप में शामिल हो सकता है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, (i) स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा का सृजन, चलते-फिरते क्लीनिक, जांच विभाग जैसे निदान, एक्सरे विज्ञान आदि सहित सामान्य बाहरी रोगी सेवाएं (चिकित्सा और सार्जिकल की सभी शाखाएं) और भर्ती रोगी सेवाएं (ii) परियोजना लागत में परियोजना की अनुमोदित लागत में बिना किसी परिवर्तन के मरणासन्न रोगियों के अस्पताल के लिए निर्माण, उपस्कर, सुविधा सृजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए 150 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, के रूप में शामिल हो सकता है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदान्त अस्पातल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला थाने -401107 महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "भक्तिवेदांत मरणासन्न रोगियों का अस्पताल" की परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना कार्य के कार्यक्षेत्र का (i) स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा का सृजन, चलते-फिरते क्लीनिक, जांच विभाग जैसे निदान, एक्सरे विज्ञान आदि सहित सामान्य बाहरी रोगी सेवाएं (चिकित्सा और सार्जिकल की सभी शाखाएं) और भर्ती रोगी सेवाएं (ii) परियोजना लागत में परियोजना की अनुमोदित लागत में बिना किसी परिवर्तन के मरणासन्न रोगियों के अस्पताल के लिए निर्माण, उपस्कर, सुविधा सृजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए 150 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, के रूप में शामिल हो सकता है, एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 72 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 442 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9 "Bhaktivedanta Hospice" by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401107 Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.483.46 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O.1968(E) dated 31st July, 2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project is likely to be amended in the approved cost of Rs.483.46 lakh as "Instead of Rs.483.46 lakh", the scope of work may included as i) include General Out Patient services (all branches of Medical and Surgical) and indoor patient care including healthcare facility creation, mobile clinics, investigation departments like pathology, radiology, etc ii) The Project cost will include cost of construction, equipment, facility creation for hospice and other medical facilities for Rs.150 lakh and a corpus fund of Rs.50 lakh, without any change in the approved project cost.";

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the scope of work as i) include General Out Patient services (all branches of Medical and Surgical) and indoor patient care including healthcare facility creation, mobile clinics, investigation departments like pathology, radiology, etc ii) The Project cost will include cost of construction, equipment, facility creation for hospice and other medical facilities for Rs.150 lakh and a corpus fund of Rs.50 lakh, without any change in the approved project cost.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Bhaktivedanta Hospice", which is being carried out by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401107 Maharashtra", by extending the scope of work as i) include General Out Patient services (all branches of Medical and Surgical) and indoor patient care including healthcare facility creation, mobile clinics, investigation departments like pathology, radiology, etc ii) The Project cost will include cost of construction, equipment, facility creation for hospice and other medical facilities for Rs.150 lakh and a corpus fund of Rs.50 lakh, without any change in the approved project cost.

[No. 72 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५३ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.11.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 4396(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "माता अमृतनंदमयी मठ, अमृतपुरी डाकखाना, कोलाम जिला, केरल-6900525" द्वारा "कृषक पुनर्वास परियोजना (1,00,000 कृषकों के बच्चों को शिक्षा, महिलाओं के 5000 स्वयं सहायता समूहों को सहायता और प्रारामर्श सेवा तथा चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है)" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1868(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5)

के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "माता अमृतनंदमयी मठ, अमृतपुरी डाकखाना, कोलाम जिला, केरल-6900525" द्वारा चलाई जा रही "कृषक पुनर्वास परियोजना (1,00,000 कृषकों के बच्चों को शिक्षा, महिलाओं के 5000 स्वयं सहायता समूहों को सहायता और परामर्श सेवा तथा चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है)" की परियोजना अथवा स्कीम को 40.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 73/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 443 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 4396(E) dated 12th November, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Farmers Rehabilitation Project (providing education to 1,00,000 farmers children and assistance to 5000 self help groups of women and counseling and medical help)" by "Mata Amritanandamayi Math, Amritapuri PO, Kollam District, Kerala- 6900525", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1868(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Farmers Rehabilitation Project (providing education to 1,00,000 farmers children and assistance to 5000 self help groups of women and counseling and medical help)", which is being carried out by "Mata Amritanandamayi Math, Amritapuri PO, Kollam District, Kerala- 6900525", without any change in the approved cost of Rs. 40.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 73 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Maldhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५५ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.09.1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 791 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "विकलांगों की प्रगति और पुनर्वास के लिए ऐसोसिएशन (आरोह), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली-110057" द्वारा "मानसिक रूप से विकलांगों के लिए नवज्योति केंद्र के निर्माण, उपस्कर और साज-सज्जा" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1996-1997 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 9 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11.08.1998 की अधिसूचना सं. सां. आ. 683(अ0) के तहत निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 20.09.2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 909 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 23.05.2005 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 378(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे दिनांक 23.10.2007 की अधिसूचना सं. सां.आ. 1795(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. सां.आ. 865(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 30 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 51 लाख रुपए से 1.20 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपए तक बढाए जाने की संभावना है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 30 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 51.00 लाख रुपए से 1.20 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "विकलांगों की प्रगति और पुनर्वास के लिए ऐसोसिएशन (आरोह), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली-110057" द्वारा चलाई जा रही "मानसिक रूप से विकलांगों के लिए नवज्योति केंद्र के निर्माण, उपस्कर और साज-सज्जा" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए यह अधिसूचित किया जाएगा कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी ; और

(ख) दिनांक 18 सितंबर, 1995 की उक्त अधिसूचना सं. सां.आ. 791 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 9, कालम (4) के सामने सारणी में, '30 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 51 लाख रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '1.20 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 74 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 444 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.791(E) dated the 18th September, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961, the Central Government had notified at serial number 9, "Construction, equipment, furnishing of Navjyoti Centre for mentally handicapped" by "Association for Advancement and Rehabilitation of Handicapped (AAROH), 224, Vasant Enclave, New Delhi-110057", as an eligible project or scheme for a period of three year beginning with Assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O.683(E) dated the 11th August, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.909(E) dated the 20th September, 2001 for a period of three years beginning with financial year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.378(E) dated 23rd May, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. 1795(E) dated 23rd October, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was further extended vide notification number 865(E) dated 27-04-2011 for three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the project cost of Rs.51 lakh including corpus fund of Rs.30 lakh is likely to be amended as Rs.1.20 crore plus a corpus fund of Rs.1.20 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 51.00 lakh including corpus fund of Rs.30 lakh to Rs.1.20 crore plus a corpus fund of Rs.1.20 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Construction, equipment, furnishing of Navjyoti Centre for mentally handicapped" being carried out by "Association for Advancement and Rehabilitation of Handicapped (AAROH), 224, Vasant Enclave, New Delhi-110057", for a further period of three years commencing with the financial year 2013-14 i.e., financial year

2013-14, 2014-15 & 2015-16 Since the financial year 2013-14 has already lapsed it would be notified that no exemption shall be available for the said finance year 2013-14.; and

(b) further amends the said notification number S.O. 791(E) dated the 18th September, 1995, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 9, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs.51 lakh including corpus fund of Rs.30 lakh" the letters, figures and word " Rs . 1.20 crore plus a corpus fund of Rs.1.20 crore" shall be substituted.

[No. 74 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५५ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 737 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इंडियन रेड क्रास सोसायटी, गुजरात राज्य शाखा, रेड क्रास भवन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के समीप, आश्रम रोड, वडाज, अहमदाबाद-380013" द्वारा "थलीसिमीआ स्क्रीनिंग कार्यक्रम, आपदा प्रबंध कार्यक्रम, मोबाइल चिकित्सा देखभाल कार्यक्रम, कृत्रिम अंग और डिसएबिलिटी उपकरण के लिए आवर्ती लागत, फिजियोथेरेपी केंद्र के लिए उपस्कर, वरिष्ठ नागरिक गृह को चलाने की लागत" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2008-2009 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 2 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1871(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-2014 से समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया;

और जबकि अनुमानित लागत को दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1871(अ0) द्वारा '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 9.62 लाख रुपए' '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 41.82 करोड़ रुपए' तक बढाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 41.82 करोड़ रुपए' तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "इंडियन रेड क्रास सोसायटी, गुजरात राज्य शाखा, रेड क्रास भवन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के समीप आश्रम रोड, वडाज, अहमदाबाद-380013" द्वारा चलाई जा रही "थलीसिमीआ स्क्रीनिंग कार्यक्रम, आपदा प्रबंध कार्यक्रम, मोबाइल चिकित्सा देखभाल कार्यक्रम, कृत्रिम अंग और डिसएबिलिटी उपकरण के लिए आवर्ती लागत, फिजियोथेरेपी केंद्र के लिए उपस्कर, वरिष्ठ नागरिक गृह को चलाने की लागत" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ख) दिनांक 13 मार्च, 2009 की उक्त अधिसूचना सं. सां.आ. 737 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 02, कालम (4) के सामने सारणी में, '50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 13.55 करोड़ रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 41.82 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

(सं0 75 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 445 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 737(E) dated 13th March, 2009, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Recurring cost for Thalassemia Screening Programmes, Disaster Management Programmes, Mobile Medicare programmes, Distribution of Artificial Limbs and disability Aids, Equipments for Physiotherapy Centre, running cost of senior citizen's Home" by "Indian Red Cross Society, Gujarat State Branch, Red Cross Bhavan, Near Khadi Gram Udyog Board, Ashram Road, Vadaj, Ahmedabad - 380 013, Karnataka", Tamilnadu, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1871(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas vide notification number 1871(E) dated 11.8.2011, the estimated cost was enhanced from 'Rs. 9.62 crore including a corpus fund of Rs. 50 lakh' to 'Rs.13.55 crore including a corpus fund of Rs.50 lakh';

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.13.55 crore including a corpus fund of Rs.50 lakh' to 'Rs.41.82 crore including a corpus fund of Rs.50 lakh';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from 'Rs.13.55 crore including a corpus fund of Rs.50 lakh' to 'Rs.41.82 crore including a corpus fund of Rs.50 lakh'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Recurring cost for Thalassemia Screening Programmes, Disaster Management Programmes, Mobile Medicare programmes, Distribution of Artificial Limbs and disability Aids, Equipments for Physiotherapy Centre, running cost of

senior citizen's Home" being carried out by "Indian Red Cross Society, Gujarat State Branch, Red Cross Bhavan, Near Khadi Gram Udyog Board, Ashram Road, Vadaj, Ahmedabad - 380 013", for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O.737(E) dated the 13th March, 2009, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word 'Rs.13.55 crore including a corpus fund of Rs.50 lakh' the letters, figures and word 'Rs.41.82 crore including a corpus fund of Rs.50 lakh' shall be substituted.

[No. 75/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५6 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "हिंदुजा फाउन्डेशन, हिंदुजा हाउस, 171 डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018" द्वारा "मेडिकल मोबाइल यूनिट परियोजना" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में 3.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 9 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 3.90 करोड़ रुपए से 8.05 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 3.90 करोड़ रुपए से 8.05 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "हिंदुजा फाउन्डेशन, हिंदुजा हाउस, 171 डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018" द्वारा चलाई जा रही "मेडिकल मोबाइल यूनिट परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ख) दिनांक 14.06.2011 की उक्त अधिसूचना सं. सां.आ. 1370 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत :-

उक्त अधिसूचना में आयकर अधिनियम की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 9, कालम (4) के सामने सारणी में, '3.90 करोड़ रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '8.05 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 76 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 446 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14/6/2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Medical Mobile Unit Project" by "Hinduja Foundation, Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.90 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.3.90 crore to Rs. 8.05 crore';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from 'Rs.3.90 crore to Rs. 8.05 crore'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Medical Mobile Unit Project", which is being carried out by "Hinduja Foundation, Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O. 1370(E) dated 14/6/2011, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 9, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word 'Rs. 3.90 crore' the letters, figures and word 'Rs. 8.05 crore' shall be substituted.

[No. 76/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५७ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 466(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भारती फाउन्डेशन, एच-5/12, कुतुब एम्बीएस, महरौली रोड, नई दिल्ली-110030" द्वारा "सत्य भारती स्कूल (50 प्राथमिक स्कूल के साथ-साथ गैर-औपचारिक शिक्षा स्थापित और सहायता देना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. सां. आ. 648(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2010-2011 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1388(अ0) (शुद्धिपत्र सां आ. सं. 3643 (अ0), दिनांक 11.12.2013 के साथ पठित) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 247(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 10.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 35.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 115.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था ; और आगे दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2529(अ0) द्वारा परियोजना लागत को 30 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपए से 45 करोड़ रुपए की

कार्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपए बदला गया था और अधिसूचना सं. सां. आ. 1879(अ0) द्वारा परियोजना लागत को 45 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपए से 60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना लागत के '60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपए' से 110 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 360 करोड़ रुपए' तक बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित '160 करोड़ रुपए से' '110 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 360 करोड़ रुपए' तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2007 की उक्त अधिसूचना सं. सां. आ. 466 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 1, कालम (4) के सामने सारणी में, "60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '110 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 360 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 77 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 447 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.466(E) dated the 29th March, 2007, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Satya Bharti Schools (establishing & supporting 500 primary schools as well as non-formal education)" by "Bharti Foundation, H-5/12, Qutub Ambience, Mehrauli Road, New Delhi – 110030", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-2008; which was extended further vide notification number S.O.648(E) dated 22nd March, 2010 for a period of three years beginning with financial years 2010-11 and the project was further extended vide notification number S.O. 3643(E) dated 17.10.2013(read with corrigendum S.O. No. 3643(E) dated 11.12.2013) for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number 247(E) dated 21st January, 2009, the estimated cost was enhanced from Rs.35.00 crore including a corpus fund of Rs.10.00 crore to Rs. 115.00 crore including a corpus fund of Rs. 30.00 crore; further, vide notification number S.O. No. 2529(E) dated 11.10.2010 the project cost was changed from Rs. 115 crore including a corpus fund of Rs. 30 crore to Rs. 115 crore including a corpus fund of Rs. 45 crore and vide notification number 1879(E) the project cost was further enhanced from Rs. 115 crore including a corpus fund of Rs. 45 crore to Rs.160 crore including a corpus fund of Rs.60 crore;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.160 crore including corpus fund of Rs.60 crore' to 'Rs.360 crore including corpus fund of Rs.110 crore';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs.160 crore including corpus fund of Rs.60 crore' to 'Rs.360 crore including corpus fund of Rs.110 crore';

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.466(E) dated the 29th March, 2007, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.160 crore including corpus fund of Rs.60 crore", the letters, figures and word "Rs.360 crore including corpus fund of Rs.110 crore" shall be substituted.

[No. 77 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५४ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 4.06.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1295(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधीग्राम-624302, डिडीगुल जिला, तमिलनाडु" द्वारा "गांधीग्राम ट्रस्ट के बच्चों के गृह/अस्पताल/शैक्षिक संस्थाओं के लिए संधारणीयता और कार्पस निधि बनाने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1389(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1389(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 50.00 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधीग्राम-624302, डिडीगुल जिला, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "गांधीग्राम ट्रस्ट के बच्चों के गृह/अस्पताल/शैक्षिक संस्थाओं के लिए संधारणीयता और कार्पस निधि बनाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 50 लाख रुपए की की कार्पस निधि सहित 100 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 78 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 448 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1295(E) dated 4th June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Sustainability and building corpus fund for children's home/hospital/educational Institutions of Gandhigram Trust" by "Gandhigram Trust, Gandhigram –624302, Dindigul District, Tamilnadu", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was extended further vide notification number S.O. 1389(E) dated 14.6.2011 for a period of three years commencing with financial year 2011-12;

And whereas by notification number S.O. 1389(E) dated 14.6.2011 the estimated cost was enhanced from 'Rs.50.00 lakh to Rs.100 lakh including corpus fund of Rs.50 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Sustainability and building corpus fund for children's home/hospital/educational Institutions of Gandhigram Trust", which is being carried out by "Gandhigram Trust, Gandhigram –624302, Dindigul District, Tamilnadu", without any change in the approved cost of Rs.100 lakh including corpus fund of 50 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 78/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५१ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "युगान्तर भारती (एनजीओ), पोस्ट बाक्स सं. 32, नामकोम डाकखाना, सिडरोउल, रांची-834010-झारखंड" द्वारा "सरंदा वन का बदलता चेहरा: प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए व्यय" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 67.31 लाख रुपए अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "युगान्तर भारती (एनजीओ), पोस्ट बाक्स सं. 32, नामकोम

डाकखाना, सिडरोउल, रांची-834010-झारखंड" द्वारा चलाई जा रही "सरंदा वन का बदलता चेहरा: प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए व्यय" की परियोजना अथवा स्कीम को 67.31 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 79 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 449 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3rd October, 2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "The Changing face of Saranda Forest: Implications for conservation of Natural Resources" by "Yugantar Bharati(NGO), Post Box No.32, Namkom Post Office, Sidroul, Ranchi - 834010, Jharkhand", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 67.31 lakh for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "The Changing face of Saranda Forest: Implications for conservation of Natural Resources", which is being carried out by "Yugantar Bharati(NGO), Post Box No.32, Namkom Post Office, Sidroul, Ranchi - 834010, Jharkhand", without any change in the approved cost of Rs. 67.31 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 79/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५० (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "साथ धर्मार्थ ट्रस्ट, ओ/102, नंदनवन - V, पर्नातीर्थ देरासर के निकट, जोधपुर,अहमदाबाद - 380015" द्वारा "स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अद्यमवृत्ति प्रशिक्षण, आजीविका सहायता, कृषि और जल एकत्रण और पक्ष-समर्थन के क्षेत्रों में शहरी गंदी बस्तियों और ग्रामीण गांवों के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "साथ धर्मार्थ ट्रस्ट, ओ/102, नंदनवन - V, पर्नातीर्थ देरासर के निकट, जोधपुर, अहमदाबाद - 380015" द्वारा चलाई जा रही "स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अद्यमवृत्ति प्रशिक्षण, आजीविका सहायता, कृषि और जल एकत्रण और पक्ष-समर्थन के क्षेत्रों में शहरी गंदी बस्तियों और ग्रामीण गांवों के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम" की परियोजना अथवा स्कीम को 3.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 80 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 450 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "Integrated Development Programmes for Urban slums and rural villages in the areas of Health, education, employment & entrepreneurship training livelihood support, agriculture and water harvesting and advocacy" by "SAATH Charitable Trust, O /102, Nandanvan V, Near Prernatirth Derasar, Jodhpur, Ahmedabad 380 015.", as an eligible project or scheme, at the estimated Cost of Rs. 12.77 crore including a corpus fund of Rs.3 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Integrated Development Programmes for Urban slums and rural villages in the areas of Health, education, employment & entrepreneurship training livelihood support, agriculture and water harvesting and advocacy", which is being carried out by "SAATH Charitable Trust, O /102, Nandanvan V, Near Prernatirth Derasar, Jodhpur, Ahmedabad 380 015.", without any change in the approved Cost of Rs. 12.77 crore including a corpus fund of Rs.3 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 80/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५९। (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1649 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "एम्पथी फाउन्डेशन, 405, कुशाल कमर्शियल काम्प्लेक्स, शोपर स्टाप के ऊपर, जी. एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई - 400089" द्वारा "स्कूल परियोजना (जिला परिषद/नगर निगम, एनजीओ और ग्राम पंचायत स्कूल का नवीनीकरण, निर्माण और प्रमुख मरम्मत)" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-2011 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 7.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 26 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. सां. आ. 3839(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-2016 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ;

और जबकि दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. 3839(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को '7.60 करोड़ रुपए' से '18.42 करोड़ रुपए' तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि परियोजना लागत के 18.42 करोड़ रुपए से बढ़कर 79 करोड़ रुपए' होने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5)

के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के लागत 18.42 करोड़ रुपए से बढ़कर 79 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

(क) एतद्द्वारा "एम्पथी फाउन्डेशन, 405, कुशाल कमर्शियल काम्प्लेक्स, शोपर स्टाप के ऊपर, जी. एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई - 400089" द्वारा चलाई जा रही "परियोजना या स्कीम को एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(ख) उक्त दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1649(अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत :-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 26, कालम (4) के सामने सारणी में, "18.42 करोड़ रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "79 करोड़ रुपए" अक्षरो, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।

(सं0 81 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 451 - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 1649 (E) dated 12.07.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 26 "School Project (renovation, construction, major repairs of Zila Parishad/Municipal Corporation, NGO's and Gram Panchayat's school)" by "Empathy Foundation, 405, Krushal Commercial Complex, above Shopper's Stop, G.M Road, Chembur (West), Mumbai 400089", as an eligible project or scheme at the estimated cost of Rs.7.60 crore, for a period of three years beginning with financial year 2010-11 and which was further extended vide notification number 3839(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16'.

And whereas by notification number S.O. 3839(E) dated 27.12.2013 the estimated cost was enhanced from 'Rs.7.60 crore' to 'Rs.18.42 crore';

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.18.42 crore' to Rs.79 crore';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from 'Rs.18.42 crore' to 'Rs.79 crore';

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby amends the said notification number S.O. 1649 (E) dated 12.07.2010, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 26, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.18.42 crore", the letters, figures and words "Rs.79 crore" shall be substituted.

[No. 81/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५९२ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भारतीय आरोग्य चिकित्सा अकादमी, 32/2ए, इरांडवाने, पुणे -410004" द्वारा "गुर्दे की देखभाल" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 24 पर अधिसूचित किया था ; जिसे बाद में दिनांक 28.04.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 878(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "भारतीय आरोग्य चिकित्सा अकादमी, 32/2ए, इरांडवाने, पुणे - 410004" द्वारा चलाई जा रही "गुर्दे की देखभाल" की परियोजना अथवा स्कीम को 4.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 82 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 452 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3rd October, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 24, "Kidney care" by "Arogyaseva Medical Academy of India, 32/2 A, Erandawane, Pune 411004", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 878(E) dated 28.4.2011, for a further period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project for "Kidney care" which is being carried out by "Arogyaseva Medical Academy of India, 32/2 A, Erandawane, Pune 411004", without any change in the approved cost of Rs. 4.90 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 82 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 453 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2835 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, रचनात्मक कार्य समिति, गांधी चौक, आर.एस. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056, महाराष्ट्र'' द्वारा "नेत्रहीन लड़कियों के लिए एनएफबीएम जागृति स्कूल हेतु एनएफबीएम मॉडल स्कूल परिसर और व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निमार्ण'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 2.50 करोड़ रू0 की कॉपर्स निधि सहित 13.48 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 27 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, रचनात्मक कार्य समिति, गांधी चौक, आर.एस. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056, महाराष्ट्र'' द्वारा चलाई जा रही "नेत्रहीन लड़कियों के लिए एनएफबीएम जागृति स्कूल हेतु एनएफबीएम मॉडल स्कूल परिसर और व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निमार्ण'' की परियोजना अथवा स्कीम को 2.50 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 13.48 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-

15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 83/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ (एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 453 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. S.O. 2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 27, "Construction of NFBM Model School complex for NFBM Jagriti School for the Blind Girls & vocational training centre" by "The National Federation of the Blind, Rachanatmak Karya Samiti, Gandhi Chowk, R.S. Road, Vile Parle (West), Mumbai-' 400 056, Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.13.48 crore including a corpus fund of Rs.2.50 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of NFBM Model School complex for NFBM Jagriti School for the Blind Girls & vocational training centre", which is being carried out by "The National Federation of the Blind, Rachanatmak Karya Samiti, Gandhi Chowk, R.S. Road, Vile Parle (West), Mumbai-' 400 056, Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs.13.48 crore including a corpus fund of Rs.2.50 crore for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 83 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५६५ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "संकारा आई हॉस्पिटल, सं०1, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट,श्री संकारा नगर, पल्लिकरनै, कांचीपुरम जिला चेन्नै 600075-तमिलनाडु" द्वारा "कन्नोली-विजन सेवर" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2881 (अ०) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 10 करोड़ रू0 की कॉपर्स निधि सहित 12.25 करोड़ रू0 से बढ़कर 15 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 20 करोड़ रू0 होने और कार्य के क्षेत्र को ओडिशा राज्य तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाने तथा उक्त परियोजना लागत को 10 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 12.25 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 15 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 20 करोड़ रू0 करने और कार्य क्षेत्र को ओडिशा राज्य तक बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "संकारा आई हॉस्पिटल, सं०1, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, श्री संकारा

नगर, पम्मल, कांचीपुरम जिला, चेन्नै 600075-तमिलनाडु'' द्वारा चलाई जा रही ''कन्नोली-विजन सेवर'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 3 अक्तूबर,2008 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 2370 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 4 की सारणी के कॉलम 3 में ''कन्नोली-विजन सेवर'' की परियोजना के अंतर्गत् कार्य के क्षेत्र को ओडिशा राज्य तक बढ़ाया जाए और धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित कॉलम (4) में "10 करोड़ रूपए की कॉपर्स निधि सहित 12.25 करोड़ रू0" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों लिए "15 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 20 करोड़ रू0" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 84/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 454 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3rd October, 2008, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Kannoli –Vision Saver" by "Sankara Eye Hospital, No.1, Third Cross Street, Sri Sankara Nagar, Pammal, Kanchipuram district, Chennai 600075, Tamilnadu", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 2881(E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.12.25 crore including a corpus fund of Rs.10 crore' to 'Rs.20 crore including a corpus fund of Rs.15 crore and also extension of area of work to the State of Odisha;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from 'Rs.12.25 crore including a corpus fund of Rs.10 crore' to 'Rs.20 crore including a corpus fund of Rs.15 crore' and also extension of area of work to the State of Odisha;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Kannoli –Vision Saver" which is being carried out by "Sankara Eye Hospital, No.1, Third Cross Street, Sri Sankara Nagar,Pammal, Kanchipuram district, Chennai 600075, Tamilnadu", as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O. 2370(E) dated 3rd October, 2008, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 4, in column (3) the area of work is extended to State of Odisha also under the project "Kannoli –Vision Saver", and in column (4),

relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.12.25 crore including a corpus fund of Rs.10 crore", the letters, figures and words "Rs.20 crore including a corpus fund of Rs.15 crore" shall be substituted.

[No. 84 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 455 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट भक्तिवेदान्त अस्पताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदान्त स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.), जिला थाने -401107 महाराष्ट्र" द्वारा "भक्तिवेदान्त अस्पताल-सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3865.36 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 7 पर अधिसूचित किया था , और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं0 सां0 आ01976 (अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि परियोजना को (i) जल संरक्षण, कार्बनिक खेती, वैकल्पिक ऊर्जा, मृदा बायोप्रौद्योगिकी आदि जैसी ग्रामीण सशक्तिकरण गतिविधियों सहित जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आईआरडीपी जैसे सरकार के विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए थाणे जिला और आस-पास के क्षेत्रों में गांव गोद लेने के दौरान सुदूर क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सृजन और स्थापना द्वारा हृदय की देखभाल, मूत्र-विज्ञान सहित सकारात्मक/निवारक संवर्धन करने, इस प्रकार इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुधार करना है (ii) ट्रस्ट की विभिन्न समुदायिक पहलों के लिए निर्माण, अवसंरचना, उपस्कर आदि की पूंजीगत

लागत सहित 2000 लाख रुपए के पूंजी व्यय" के रूप में कार्य का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना को संशोधित करने के लिए (i) जल संरक्षण, कार्बनिक खेती, वैकल्पिक ऊर्जा, मृदा बायोप्रौद्योगिकी आदि जैसी ग्रामीण सशक्तिकरण गतिविधियों सहित जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आईआरडीपी जैसे सरकार के विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए थाणे जिला और आस-पास के क्षेत्रों में गांव गोद लेने के दौरान सुदूर क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सृजन और स्थापना द्वारा हृदय की देखभाल, मूत्र-विज्ञान सहित सकारात्मक/निवारक संवर्धन करने, इस प्रकार इसका उद्देश्य स्थालनीय लोगों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुधार करना है (ii) ट्रस्ट की विभिन्न समुदायिक पहलों के लिए निर्माण, अवसंरचना, उपस्कर आदि की पूंजीगत लागत सहित 2000 लाख रुपए के पूंजी व्यय" के रूप में कार्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की सिफारिश करती है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट भक्तिवेदान्त अस्पताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदान्त स्वामी मार्ग, मीरा

रोड (पू.) जिला थाने-401107 महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही (i) जल संरक्षण, कार्बनिक खेती, वैकल्पिक ऊर्जा, मृदा बायोप्रौद्योगिकी आदि जैसी ग्रामीण सशक्तिकरण गतिविधियों सहित जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आईआरडीपी जैसे सरकार के विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए थाणे जिला और आस-पास के क्षेत्रों में गांव गोद लेने के दौरान सुदूर क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सृजन और स्थापना द्वारा हृदय की देखभाल, मूत्र-विज्ञान सहित सकारात्मक/निवारक संवर्धन करने, इस प्रकार इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुधार करना है (ii) ट्रस्ट की विभिन्न समुदायिक पहलों के लिए निर्माण, अवसंरचना, उपस्कर आदि की पूंजीगत लागत सहित 2000 लाख रुपए के पूंजी व्यय" के रूप में कार्य का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर "भक्तिवेदान्त अस्पताल - सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं" की

स्कीम या परियोजना को 3865.36 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना परिवर्तन के संशोधित और अधिसूचित करती है ।

(सं0 85 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O.455 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Bhaktivedanta Hospital-community Health Services" by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401 107 Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.3865.36 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O.1976(E) dated 31st July, 2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project is likely to be amended as "extending the scope of work as (i)Promoting positive/preventive health including cardiac care, urology and by creation and setting up of community health centres in remote areas in the course of village adoption in Thane district and adjoining areas to supplement the development programmes of the Government like IRDP, in tribal and rural areas, including rural empowerment activities like water conservation, organic farming, alternative energy, soil biotechnology, etc., thus aimed at considerable health improvement amongst the locals (ii) Capital Expenditure of Rs.2000 lakh including capital cost of construction, infrastructure, equipment, etc., for the various community healthcare initiatives of the Trust";

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project by extending the scope of work as "(i) Promoting positive/preventive health including cardiac care, urology and by creation and setting up of community health centres in remote areas in the course of village adoption in Thane district and adjoining areas to supplement the development programmes of the Government like IRDP, in tribal and rural areas, including rural empowerment activities like water conservation, organic farming, alternative energy, soil biotechnology, etc., thus aimed at considerable health improvement amongst the locals (ii) Capital Expenditure of Rs.2000 lakh including capital cost of construction, infrastructure, equipment, etc., for the various community healthcare initiatives of the Trust";

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project by extending the scope of work as "(i)Promoting positive/preventive health including cardiac care, urology and by creation and setting up of community health centres in remote areas in the course of village adoption in Thane district and adjoining areas to supplement the development programmes of the Government like IRDP, in tribal and rural areas, including rural empowerment activities like water conservation, organic farming, alternative energy, soil biotechnology, etc., thus aimed at considerable health improvement amongst the locals (ii) Capital Expenditure of Rs.2000 lakh including capital cost of construction, infrastructure, equipment, etc., for the various community healthcare initiatives of the Trust";.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amend and notifies the scheme or project "Bhaktivedanta Hospital-community Health Services" by extending the scope of work as "(i)Promoting positive/preventive health including cardiac care, urology and by creation and setting up of community health centres in remote areas in the course of village adoption in Thane district and adjoining areas to supplement the development programmes of the Government like IRDP, in tribal and rural areas, including rural empowerment activities like water conservation, organic farming, alternative energy, soil biotechnology, etc., thus aimed at considerable health improvement amongst the locals (ii) Capital Expenditure of Rs.2000 lakh including capital cost of construction, infrastructure, equipment, etc., for the various community healthcare initiatives of the Trust", which is being carried out by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401 107 Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs.3865.36 lakh.

[No. 85/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५५६ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 09.12.2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1275 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इम्पैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, एनएचएवीए हाउस, 65, महर्षि कार्वे रोड, मुंबई -400002" द्वारा "अशक्तता कम करने की परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 5.7.2006 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1007(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2397(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1870 (अ0) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5)

के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "इम्पैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, एनएचएवीए हाउस, 65, महर्षि कार्वे रोड, मुंबई -400002" द्वारा चलाई जा रही "अशक्तता कम करने की परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 590.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 86/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 456 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1275(E) dated the 9th December, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Disability Reduction Project" by "Impact India Foundation, NHAVA House, 65, Maharshi Karve Road, Mumbai – 400002", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.1007(E) dated the 5th July, 2006 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O.2397(E) dated the 3rd October, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1870(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Disability Reduction Project" being carried out by "Impact India Foundation, NHAVA House, 65, Maharshi Karve Road, Mumbai – 400002", without any change in the approved cost of Rs.590.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years Commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 86 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 457 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मठारू भूमि फाउन्डेशन (एनजीओ), ए- 437, तीसरा तल, जी. डी. कालोनी मयूर विहार फेज-III, दिल्ली-110096" द्वारा "शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 35.15 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 15 पर अधिसूचित किया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि 35.15 लाख रुपए की परियोजना लागत को 2.88 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों के लिए परियोजना लागत को 35.15 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.88 करोड़ करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "मठारू भूमि फाउन्डेशन (एनजीओ), ए- 437, तीसरा तल, जी. डी. कालोनी मयूर विहार फेज-III, दिल्ली-110096" द्वारा चलाई जा रही "शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(ख) दिनांक 3.10.2011 की उक्त अधिसूचना सं0 सां0 आ0 3202 (अ0) को निम्नलिखित प्रभाव के लिए संशोधित करती है नामत :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 15, कालम (4) के सामने सारणी में, "35.15 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "2.88 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे" ।

(सं0 87 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O.457(E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, "Vocational and skill training for women living in urban slums" by "Maathru Bhoomi Foundation (NGO), A-437, IIIrd Floor, G.D colony, Mayur Vihar Phase-III, Delhi 110096", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 35.15 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the project cost of Rs. 35.15 lakh is likely to be amended as Rs.2.88 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 35.15 lakh to Rs. 2.88 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Vocational and skill training for women living in urban slums" being carried out by Maathru Bhoomi Foundation (NGO), A-437, IIIrd Floor, G.D colony, Mayur Vihar Phase-III, Delhi 110096, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17;

(b) further amends the said notification number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 15, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs. 35.15 lakh " the letters, figures and word "Rs. 2.88 crore" shall be substituted.

[No. 87/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 458 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1111 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, सीएनआई भवन, 16 पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली-110001'' द्वारा ''कुष्ठ रोगियों और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के व्यापक पुनर्वास'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं० सां० आ० 2393(अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1867(अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, सीएनआई भवन, 16 पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली-110001'' द्वारा चलाई जा रही ''कुष्ठ रोगियों और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के व्यापक पुनर्वास'' की परियोजना अथवा स्कीम को 7.82 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले

वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 88/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ (एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. (E).- 458 Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1111(E) dated the 8th August, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Comprehensive Rehabilitation of leprosy patients and leprosy affected families" by "The Leprosy Mission Trust India, CNI Bhavan, 16 Pandit Pant Marg, New Delhi – 110001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.2393(E) dated 3rd October, 2008 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number 1867(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Comprehensive Rehabilitation of leprosy patients and leprosy affected families" being carried out by "The Leprosy Mission Trust India, CNI Bhavan, 16 Pandit Pant Marg, New Delhi – 110001", without any change in the approved cost of Rs.7.82 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17

[No. 88/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 459 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदान्त अस्पाताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला थाने -401107 महाराष्ट्र" द्वारा 'बरसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 582.17 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की आधिसूचना सं. सां. आ. 1977 (अ0) के तहत वित्तीय 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया।

और जबकि 582.17 लाख की परियोजना लागत को 582.17 लाख रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है, जिसमें निर्माण, उपस्कर की लागत और 200 लाख रुपए सुविधा सृजन और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना की लागत को 582.17 लाख रुपए, जिसमें निर्माण, उपस्कर की

लागत और 200 लाख रुपए सुविधा सृजन और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, करने की सिफारिश की है ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिनांक 03.10.2011 की उक्त अधिसूचना सं. सां. आ. 2302 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (8), कालम (4) के सामने सारणी में, "582.17 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "582.17 लाख रुपए" जिसमें निर्माण और उपस्कर की लागत और 200 लाख रुपए सुविधा सृजन तथा 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 89 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 459 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "Barsana Community Health Centre Project" by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401 107 Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.582.17 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O.1977(E) dated 31st July, 2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project cost of Rs. 582.17 lakh is likely to be amended as Rs.582.17 lakh, which includes cost of construction, equipment and facility creation of Rs.200 lakh and a corpus fund of Rs.50 lakh'";

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost of Rs.582.17 lakh, which includes cost of construction, equipment and facility creation of Rs.200 lakh and a corpus fund of Rs. 50 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (8), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 582.17 lakh", the letters, figures and words "Rs.582.17 lakh, which includes cost of construction, equipment and facility creation of Rs.200 lakh and a corpus fund of Rs.50 lakh" shall be substituted'.

[No. 89/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 460 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1111 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, ।।, खान अब्दुल गफ्फार खान रोड, वली सीफेस, मुंबई-400030" द्वारा "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-2006 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 11 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 3.10.2008 की आधिसूचना सं. सां. आ. 2384 (अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1388 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि अनुमानित लागत को दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1388 (अ0) द्वारा 13.50 करोड़ रुपए से 25.50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 25.50 करोड़ से 40.50 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 25.50 करोड़ रुपए से 40.50 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, 11, खान अब्दुल गफ्फार खान रोड, वली सीफेस, मुंबई-400030" द्वारा चलाई जा रही "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(ख) दिनांक 8 अगस्त, 2005 की उक्त अधिसूचना सं. सां.आ. 1111 (अ0) की उक्त अधिसूचना को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 11, कालम (4) के सामने सारणी में, "25.50 करोड़ रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "40.50 करोड़ रुपए" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 90/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 460 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1111(E) dated the 8th August, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "National Association for the Blind" by "National Association for the Blind, 11, Khan Abdul Gaffar Khan Road, Worli Seaface, Mumbai – 400030", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.2384(E) dated 3rd October, 2008 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1388(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O. 1388(E) dated 14.6.2011 the estimated cost was enhanced from 'Rs.13.50 crore' to 'Rs.25.50 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.25.50 crore to 40.50 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.25.50 crore to Rs. 40.50 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "National Association for the Blind" being carried out by National Association for the Blind, 11, Khan Abdul Gaffar Khan Road, Worli Seaface, Mumbai - 400030, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17;

(b) further amends the said notification number S.O.1111(E) dated the 8th August, 2005, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 11, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs. 25.50 crore" the letters, figures and word "Rs. 40.50 crore" shall be substituted.

[No. 90/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 461 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.09.1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 791(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "गुजरात सरवर मंडल,. कमरा सं. 15, प्रथम तल, हिमावन,समाज कल्याण केंद्र, शांति कुंज सोसायटी, प्रितामरी मार्ग, पालदी के निकट, अहमदाबाद-6" द्वारा "अहमदाबाद गुजरात में निर्धनों और निराश्रित रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-97 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11.08.1998 की अधिसूचना सं. सां. आ. 686(अ0) के तहत निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. सां. आ. 561 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 796 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 16.07.2007की अधिसूचना सं. सां. आ.1152(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1797 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 5 जुलाई,2000 की अधिसूचना सं. सां. आ. 630 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 12.00 लाख रुपए से 36.00 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था और दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 796(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 36.00 लाख रुपए से 72.00 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 72 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपए तक संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना लागत को 1 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपए तक संशोधित करने के लिए सिफारिश की है ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (क) "गुजरात सरवर मंडल, कमरा सं. 15, प्रथम तल, हिमावन, समाज कल्याण केंद्र, शांति कुंज सोसायटी, प्रितामरी मार्ग, पालदी के निकट, अहमदाबाद-6" द्वारा चलाई जा रही "अहमदाबाद गुजरात में निर्धनों और निराश्रित रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है । चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35 क ग के तहत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी ; और

(ख) दिनांक 18.09.1995 की उक्त अधिसूचना सं. सां. आ. 791(अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (1), कालम (4) के सामने सारणी में, "72 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "1 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 91/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 461 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.791(E) dated the 18th September, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, "for free medical aid to poor and destitute patients at Ahmedabad Gujarat" by "Gujarat Sarvar Mandal, Room No.15, Ist Floor, Himavan, Samaj Kalyan Kendra, Shanti Kunj Society, Pritamari Marg, Near Paldi, Ahmedabad-6", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O.686(E) dated the 11th August, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.561(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.796(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.1152(E) dated 16.7.2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was extended further vide notification number S.O. 1797(E) dated 21st July, 2010 for a period of three years beginning with financial year 2010-11;

And whereas vide notification number S.O.630(E) dated the 5th July, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs.12.00 lakhs to Rs.36.00 lakhs and vide notification number S.O.796(E) dated the 5th July, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs.36.00 lakhs to Rs.72.00 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 18 years;

And whereas the project cost of Rs. 72 lakh is likely to be amended as Rs. 90 lakh and also corpus fund of Rs.1 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 72 lakh to Rs. 90 lakh and also corpus fund of Rs.1 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961

(43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "for free medical aid to poor and destitute patients at Ahmedabad, Gujarat", which is being carried out by "Gujarat Sarvar Mandal, Room No.15, Ist Floor, Himavan, Samaj Kalyan Kendra, Shanti Kunj Society, Pritamari Marg, Near Paldi, Ahmedabad-6", for a further period of three years beginning with financial years 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 & 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed it would be notified that no exemption shall be available for the said finance year 2013-14; and

(b) further amends the said notification number S.O. 791(E) dated the 18th September, 1995, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs. 72 lakh" the letters, figures and word "Rs. 90 lakh and also corpus fund of Rs.1 crore" shall be substituted.

[No. 91 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 462 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.10.2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 135 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "प्रयास किशोर सहायता केंद्र, फ्लैट नं. 1-X, ब्लॉक सं. एफ, जहांगीरपुरी, दिल्ली - 110033" द्वारा "प्रयास किशोर सहातया केंद्र, दिल्ली" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 03.02.2006 की आधिसूचना सं. सां. आ. 147 (अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2005-06 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 238 (अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1987 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "प्रयास किशोर सहायता केंद्र, फ्लैट नं. 1-X, ब्लॉक सं. एफ, जहांगीरपुरी, दिल्ली - 110033" द्वारा चलाई जा रही "प्रयास किशोर सहातया केंद्र, दिल्ली" की परियोजना अथवा स्कीम को 324.68 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 92 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 462 (E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.135(E) dated the 17th October, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Prayas Juvenile Aid Centre, Delhi" by "Prayas Juvenile Aid Centre, Flat No.1-X, Block No.F, Jahangirpuri, Delhi – 110033", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.147(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O. 238(E) dated 21st January, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1987(E) dated 14.5.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Prayas Juvenile Aid Centre, Delhi" which is being carried out by "Prayas Juvenile Aid Centre, Flat No.1-X, Block No.F, Jahangirpuri, Delhi – 110033", without any change in the approved cost of Rs.324.68 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 92/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 463 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,. (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 743 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "पीपल यूनिटी ट्रस्ट,सं० 3/32-ए1, वाक्यालक्ष्म इलियम, वीएमपी नगर एक्सटेंशन, कुरिंजीपाडी, कुड्डलोर जिला 607302, तमिलनाडु" द्वारा "ग्लोबल वार्मिंग के विरूद्ध पौधारोपण" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.28 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ङ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "पीपल यूनिटी ट्रस्ट,सं० 3/32-ए1, वाक्यालक्ष्म इलियम, वीएमपी नगर एक्सटेंशन, कुरिंजीपाडी, कुड्डलोर जिला 607302, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "ग्लोबल वार्मिंग के विरूद्ध पौधारोपण" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.28 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 93/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस. ओ. (एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 463 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Plantation against global warming" by "People Unity Trust, No.3/82-A 1, Bakyalakshm Illlam, VMP Nagar extension, Kurinjipadi, Cuddalore District, 607 302, Tamilnadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1.28 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Plantation against global warming", which is being carried out by "People Unity Trust, No.3/82-A 1, Bakyalakshm Illlam, VMP Nagar extension, Kurinjipadi, Cuddalore District, 607 302, Tamilnadu", without any change in the approved cost of Rs.1.28 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 93/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 464 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.02.1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 96 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द कैंसर इन्स्टीट्यूट (डब्ल्यूआईए) ट्रस्ट, ईस्ट कैनाल बैंक रोड, गांधी नगर, अडयार, चैन्नै-600020" द्वारा "चेन्नै, तमिलनाडु में कैंसर इन्स्टीट्यूट के सामान्य वार्डों में कैंसर के गरीब रोगियों को निशुल्क भोजन और कैंसर रोधी दवाएं प्रदान करने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.09.2001 की अधिसूचना सं० सां०आ० 920 (अ०) के तहत निर्धारण वर्ष 2002-2003 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 02.02.2005 की अधिसूचना सं० सां०आ० 130 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं० सां०आ० 470 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1142 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3149 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 841 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को कॉपर्स निधि के रूप में 6.50 करोड़ रू0 से बढ़ाकर कॉपर्स निधि के रूप में 9.40 करोड़ रू0 कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1876 (अ०) द्वारा आगे संशोधित करके कॉपर्स निधि के रूप में 9.40 करोड़ रू0 से बढ़ाकर कॉपर्स निधि के रूप में 14.60 करोड़ रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 'कॉपर्स निधि के रूप में 14.60 करोड रू0' से बढ़कर 'कॉपर्स निधि के रूप में 20.00 करोड़ रू0' होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना लागत को कॉपर्स निधि के रूप में 14.60 करोड़ रू0 से संशोधित करके 'कॉपर्स निधि के रूप में 20.00 करोड़ रू0' करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 11 फरवरी 1999 की अधिसूचना सं0 सां०आ० 96(अ०) को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 9 की सारणी के कॉलम 4 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित "कॉपर्स निधि के रूप में 14.60 करोड रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "कॉपर्स निधि के रूप में 20.00 करोड रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 94/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 464 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.96(E) dated the 11th February, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, "for Providing free food and anti-Cancer drugs to poor cancer patients in General wards of Cancer Institute at Chennai, Tamilnadu" by "the Cancer Institute (WIA) Trust, East Canal Bank Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai-600020", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.920(E) dated the 20th September, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.130(E) dated the 2nd February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.470(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was extended further vide notification number S.O.1142(E) dated the 17th May, 2010 for a period of three years beginning with financial year 2010-11 and which was further extended vide notification number S.O.3149(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

Whereas by notification number S.O.841(E) dated the 25th March, 2009, the estimated cost was enhanced from Rs. 6.50 crore as corpus fund to Rs.9.40 crore as corpus fund and which was further enhanced from 'Rs.9.40 crore as corpus fund' to 'Rs.14.60 crore as corpus fund' vide notification number 1876(E) dated 11.8.2011;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.14.60 crore as corpus fund' to 'Rs.20.00 crore as corpus fund';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from 'Rs.14.60 crore as corpus fund' to 'Rs.20.00 crore as corpus fund'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961

(43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 96(E) dated the 11th February, 1999, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 9, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs.14.60 crore as corpus fund" the letters, figures and word "Rs. 20.00 crore as corpus fund" shall be substituted.

[No. 94/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 465 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 308 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंधरोट, जिला-बड़ौदा, गुजरात" द्वारा "सिंधरोट, वडोदरा, गुजरात में कोढ़ रोगमुक्त मरीजों के लिए पुनर्वास/कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2000-01 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 07.06.2002 की अधिसूचना सं० सां०आ० 611 (अ०) के तहत निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 03.02.2006 की अधिसूचना सं० सां०आ० 155 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 233 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2404 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 03 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं० सां०आ० 155 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 400.00 लाख रू0 से बढ़कर 1000.00 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 15 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंधरोट, जिला-बड़ौदा, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "सिंधरोट, वडोदरा, गुजरात में कोढ़ रोगमुक्त मरीजों के लिए पुनर्वास/कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 1000.00 लाख रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(सं0 95 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 465 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.308(E) dated the 11th May, 1999, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Running of Rehabilitation/Welfare activities for leprosy cured patients at Sindhrot, Vadodara, Gujarat" by "Shram Mandir Trust, Sindhrot, District – Baroda, Gujarat", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.611(E) dated the 7th June, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.155(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.233(E) dated the 21st January, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 2404(E) dated 18.10.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O.155(E) dated the 3rd February, 2006 the estimated cost was enhanced from Rs. 400.00 lakh to Rs.1000.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of Rehabilitation/Welfare activities for leprosy cured patients at Sindhrot, Vadodara, Gujarat" which is being carried out by "Shram Mandir Trust, Sindhrot, District – Baroda, Gujarat", without any change in the

approved cost of Rs.1000.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 95/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 466 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019'' द्वारा "चलता-फिरता मेडिकल चेरिटेबल डिस्पेंसरी और चिकित्सक सहायता परियोजना'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 19 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1394(अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019'' द्वारा चलाई जा रही "चलता-फिरता मेडिकल चेरिटेबल डिस्पेंसरी और चिकित्सक सहायता परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को 2.95 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन

वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 96/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस/ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 466 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3rd October, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, "Mobile Charitable Dispensary and Medical Aid Project" by "Bharat Sevashram Sangha , 211, Rash Behari Avenue, Kolkata – 700 019", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1394(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three year.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Mobile Charitable Dispensary and Medical Aid Project", which is being carried out by "Bharat Sevashram Sangha , 211, Rash Behari Avenue, Kolkata – 700 019", without any change in the approved cost of Rs. 2.95 crore, for a further period of three financial years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 96 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 467 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1462 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "ल्यूपिन ह्यूमन वेल्फेयर एंड रिसर्च फाऊंडेशन, 159, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताकुंज (ईस्ट), मुंबई-400098" द्वारा "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2408 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3880 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2408 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 14.35 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 24.09 करोड़ रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3880 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 24.09 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 34.09 करोड़ रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 34.09 करोड़ रू0 से बढ़कर 125 करोड़ रूपए होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 34.09 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 125 करोड़ रू0 करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 17 जून, 2008 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 1462 (अ०) (दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2408 (अ०) के साथ पठित) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 1 की सारणी के कॉलम 4 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित "34.09 करोड़ रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "125 करोड़ रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 97/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस/ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 467 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1462(E) dated 17th June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1,"Integrated Rural Development Programme" by "Lupin Human Welfare & Research Foundation, 159, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was extended further vide notification number S.O. 2408(E) dated 18.10.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was extended vide notification number SO 3880 (E) dated 27.12.2013 for a further period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas vide notification number S.O. 2408(E) dated 18.10.2011, the estimated cost was enhanced from Rs. 14.35 crore to Rs.24.09 crore and vide notification number S.O. 3880 (E) dated 27.12.2013 the estimated cost was enhanced from Rs.24.09 crore to Rs.34.09 crore;

And whereas the project cost of Rs. 34.09 crore is likely to be amended as Rs.125 crore;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs.34.09 crore to Rs.125 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.1462(E) dated the 17th June, 2008 (read with notification number S.O. 2408(E) dated 18.10.2011), to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs. 34.09 crore" the letters, figures and word "Rs. 125 crore" shall be substituted.

[No. 97/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 468 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 22.01.2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 60 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट, सं०3, पोन्नीयाम्मन कोएल स्त्री, अल्पाक्कम, चेन्नै-600116'' द्वारा "शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट के लिए कॉपर्स निधि'' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1005 (अ०) द्वारा 2006-07 को प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1464 (अ०) द्वारा 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1874 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट, सं०3, पोन्नीयाम्मन कोएल स्त्री, अल्पाक्कम, चेन्नै-600116'' द्वारा चलाई जा रही "शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट के लिए कॉपर्स निधि'' की परियोजना अथवा स्कीम को 800.00 लाख रूपये

(कॉपर्स निधि सहित) की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 98/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 468 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.60(E) dated the 22nd January, 2003, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Corpus fund for Siva Sakhti Sathya Sai Charitable Trust" by "Siva Sakhti Sathya Sia Charitable Trust, No.3, Ponniyamman Koil Stree, Alapakkam, Chennai-600116", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.1005(E) dated the 5th July, 2006 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 1464(E) dated the 17th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number 1874(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Corpus fund for Siva Sakhti Sathya Sai Charitable Trust" being carried out by "Siva Sakhti Sathya Sia Charitable Trust, No.3, Ponniyamman Koil Stree, Alapakkam, Chennai-600116", without any change in the approved cost of Rs.800.00 lakh (corpus find), as an eligible project or scheme for a further period of three years Commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 98/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 469 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''श्री ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, एस.टी. स्टैंड के समीप, पाटन 384265, गुजरात'' द्वारा "मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए घर, डिसेबिलिटी सहायक सामग्री का वितरण, जल भंडारण के पुराने तालाब/टैंकों की मरम्मत, बाल मजदूरों के लिए शैक्षणिक सहायक-सामग्री, ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और माइक्रो फाइनैंस उद्यम, चिकित्सा कैंपों का आयोजन और एचआईवी खून की जांच संबंधी कार्यक्रम'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 7.08 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयंकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''श्री ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, एस.टी. स्टैंड के समीप, पाटन 384265, गुजरात'' द्वारा चलाई जा रही "मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए घर, डिसेबिलिटी सहायक सामग्री का वितरण, जल भंडारण के पुराने तालाब/टैंकों की मरम्मत, बाल मजदूरों के लिए शैक्षणिक सहायक-सामग्री,

ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और माइक्रो फाइनैंस उद्यम, चिकित्सा कैंपों का आयोजन और एचआईवी खून की जांच संबंधी कार्यक्रम'' की परियोजना अथवा स्कीम को 7.08 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 99 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 469 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14/6/2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Home for mentally challenged people, distribution of disability aids, repairing of water storage old Talav/Tanks, educational aids for child laborers, vocational trainings and micro finance enterprise for rural women, organizing medical camps and HIV blood screening programmes" by "Shree Brahma Samaj Seva Trust, 402, Sapna Apartment, Adarsh High School Road, Near S.T. Stand, Patan 384 265, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 7.08 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Home for mentally challenged people, distribution of disability aids, repairing of water storage old Talav/Tanks, educational aids for child laborers, vocational trainings and micro finance enterprise for rural women, organizing medical camps and HIV blood screening programmes", which is being carried out by "Shree Brahma Samaj Seva Trust, 402, Sapna Apartment, Adarsh High School Road, Near S.T. Stand, Patan 384 265, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 7.08 crore for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 99/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 470 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2835 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''हैव ए हार्ट फाऊंडेशन, सं० 37, सेंट जॉन्स रोड, बेंगलुरू-560042'' द्वारा "हैव ए हार्ट'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 7.00 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''हैव ए हार्ट फाऊंडेशन, सं० 37, सेंट जॉन्स रोड, बेंगलुरू-560042'' द्वारा चलाई जा रही "हैव ए हार्ट'' की परियोजना अथवा स्कीम को 7.00 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15,. 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 100 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस/ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 470 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Have a Heart" by "Have a Heart Foundation, No.37, St Johns Road, Bangalore 560042", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 7.00 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Have a Heart", which is being carried out by "Have a Heart Foundation, No.37, St Johns Road, Bangalore 560042", without any change in the approved cost of Rs. 7.00 crore for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 100 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 47 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''एस. महात्मे मेमोरियल आई वेल्फेयर चेरिटेबल ट्रस्ट, डा० विकास महात्मे, 16 सेन्ट्रल एक्साइज कालोनी, रिंग रोड, नागपुर-440015'' द्वारा "परिहार्य नेत्रहीनता के उपचार द्वारा ग्रामीण-जनजातीय निर्धनों और शहरी झुग्गी वालों का उद्धार'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 6.25 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 25 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''एस. महात्मे मेमोरियल आई वेल्फेयर चेरिटेबल ट्रस्ट, डा० विकास महात्मे, 16 सेन्ट्रल एक्साइज कालोनी, रिंग रोड, नागपुर-440015'' द्वारा चलाई जा रही "परिहार्य नेत्रहीनता के उपचार द्वारा ग्रामीण-जनजातीय निर्धनों और शहरी झुग्गी वालों का उद्धार'' की परियोजना अथवा स्कीम को 6.25 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की

अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 101 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस.ओ.(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 471 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3rd October, 2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 25, "Upliftment of the Rural-Tribal Poor and Urban Slum dwellers by curing avoidable blindness" by "S. Mahatme Memorial Eye Welfare Charitable Trust, Dr. VikasMahatme, 16 Central Excise Colony, Ring road, Nagpur 440015", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs 6.25 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Upliftment of the Rural-Tribal Poor and Urban Slum dwellers by curing avoidable blindness" being carried out by "S. Mahatme Memorial Eye Welfare Charitable Trust, Dr. VikasMahatme, 16 Central Excise Colony, Ring road, Nagpur 440015", without any change in the approved cost of Rs. 6.25 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 101 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 472 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 92 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "करूणा ट्रस्ट, 22, गौतम नगर, समीप नारणपुरा-रेलवे क्रॉसिंग, अहमदाबाद-13" द्वारा "सारे गुजरात में आंखों का ऑपरेशन, पोलियो ऑपरेशन कैंप, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा और एम्बुलेंस सेवा के संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 5 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० सां०आ० 57 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.06.2001 की अधिसूचना सं० सां०आ० 539 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 02.02.2005 की अधिसूचना सं० सां०आ० 143 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 04 जून, 2008 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1307 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3861 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सां०आ० 539 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 94.00 लाख रू0 से बढ़ाकर 128.00 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1307 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 128.00 लाख रू0 से बढ़ाकर 153.00 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3861 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 153 लाख रू0 से बढ़ाकर 200 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 200 लाख रू0 से बढ़कर 270 लाख रूपए की कॉपर्स निधि सहित 470 लाख रूपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 200 लाख रू0 से बढ़ाकर 270 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 470 लाख रू0 करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 02 फरवरी, 1996 की उक्त अधिसूचना सं० सां०आ० 92 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 5 की सारणी के कॉलम 4 में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित "200 लाख रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "270 लाख रूपए की कॉपर्स निधि सहित 470 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 102 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 472 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.92(E) dated the 2nd February, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Conduct eye operation, polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance service all over Gujarat" by "Karuna Trust, 22, Gautam Nagar, Near Naranpura-Railway Crossing, Ahmedabad-13", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O.57(E) dated the 16th January, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.539(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.143(E) dated the 2nd February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.1307(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was further extended vide notification number S.O. 3861(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O.539(E) dated the 20th June, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs. 94.00 lakh to Rs.128.00 lakh; vide notification number S.O.1307(E) dated 4th June, 2008 the estimated cost was enhanced further from Rs. 128.00 lakh to 153.00 lakh and whereas by notification number S.O 3861(E) dated 27.12.2013 the estimated cost was enhanced from Rs.153 lakh to Rs.200 lakh;

And whereas the project cost of Rs.200 lakh is likely to be amended as Rs.470 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs.200 lakh to Rs.470 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 92(E) dated the 2nd February, 1996, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (5), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.200 lakh", the letters, figures and words "Rs.470 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh" shall be substituted'.

[No. 102 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 473 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30.11.1992 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 878 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, मार्फत समाज सेवा केन्द्र, सर्वे सं० 4272, अकुरदी डाकघर के पीछे, अकुरदी, पुणे-411035" द्वारा "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1993-94 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 4 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना सं० सां०आ० 293 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1996-97 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.05.1998 की अधिसूचना सं० सां०आ० 438 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.12.2002 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1384 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 05 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० सां०आ० 789 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2400 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ताकि आवेदक को उक्त अवधि के दौरान राशि को और आगे बढ़ाए बिना धारा 35 क ग के तहत पहले से एकत्रित राशि को खर्च करने का समय दिया जा सके; और बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं० सां०आ० 644 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2410 (अ०) द्वारा कार्य के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3148 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20 मई, 1998 की अधिसूचना सं० सां०आ० 438 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 118.00 लाख रू0 से बढ़ाकर 180.72 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं० सां०आ० 319 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 182.72 लाख रू0 से बढ़ाकर 298.60 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० सां०आ० 789 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 298.60 लाख रू0 से बढ़ाकर 704.14 लाख रू0 कर दिया गया था; और आगे दिनांक 14.10.2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2604 (अ०) द्वारा परियोजना लागत को 704.14 लाख रू0 से बढ़ाकर 821.80 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं० सां०आ० 644 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 821.80 लाख रू0 से बढ़ाकर 1219.80 लाख रू0 कर दिया गया था; और आगे दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3148 (अ०) द्वारा परियोजना लागत को 1219.80 लाख रू0 से बढ़ाकर 2021.80 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के **2021.80 लाख रू0 से बढ़कर 2971.80 लाख रूपए** होने और कार्य के क्षेत्र को मौजूदा क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, वर्धा जिले तथा राजस्थान के सीकर जिले के अतिरिक्त समूचे महाराष्ट्र तक बढ़ाए जाने की भी संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 2021.80 लाख रू0 से बढ़ाकर 2971.80 लाख रू0 करने और अनुमोदन की शेष अवधि अर्थात 31 मार्च, 2016 तक कार्य के क्षेत्र को मौजूदा क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, वर्धा जिले तथा राजस्थान के सीकर जिले के अतिरिक्त समूचे महाराष्ट्र तक बढ़ाने की भी सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, मार्फत समाज सेवा केन्द्र, सर्वे सं० 4272, अकुरदी डाकघर के पीछे, अकुरदी, पुणे-411035" द्वारा चलाई जा रही "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 30 नवंबर, 1992 की उक्त अधिसूचना सं० सां०आ० 878 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 3 की सारणी के कॉलम 3 में "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना के अंतर्गत कार्य के क्षेत्र में निम्नलिखित "मौजूदा क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, वर्धा जिले तथा राजस्थान के सीकर जिले के अतिरिक्त समूचे महाराष्ट्र" जोड़ा जाए और धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित कॉलम (4) में, "2021.80 लाख रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "2971.80 लाख रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 103 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 473 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.878(E) dated the 30th November, 1992, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Integrated Rural Development Project" by "Jankidevi Bajaj Gram Vikas Sanstha, C/o Samaj Seva Kendra, Survey No.4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune – 411 035", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-1994; which was extended further vide notification number S.O.293(E) dated the 4th April, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O.438(E) dated the 20th May, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.1384(E) dated the 30th December, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.789(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.2400(E) dated the 3rd October, 2008 for a period of two years beginning with financial year 2008-09 to give the applicant time to spend the already collected amount u/s. 35AC without raising further amount during the period; the period was further extended vide notification S.O. No 644(E) dated 22nd March, 2010 for further three years beginning with financial year 2010-11 and which was further amended vide notification number S.O.2410 (E) dated 18.10.2011 for expanding the area of work; which was further extended vide notification number S.O.3148(E) dated 17th October, 2013 for a further period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O.438(E) dated the 20th May, 1998 the estimated cost was enhanced from Rs. 118.00 lakh to Rs.180.72 lakh, vide notification number S.O.319(E) dated the 11th May, 1999 the estimated cost was further enhanced from Rs.182.72 lakh to Rs.298.60 lakh and vide notification number S.O.789(E) dated the 5th July, 2004 the estimated cost was further enhanced from Rs.298.60 lakh to Rs.704.14 lakh, vide notification number S.O.No.2604(E) dated 14.10.2009 the project cost was further enhanced from Rs. 704.14 lakh to Rs. 821.80 lakh, vide notification number S.O.644(E) dated 22nd March, 2010 the estimated cost was further enhanced from Rs. 821.80 lakh to Rs. 1219.80 lakhs, the project cost was further

enhanced from Rs. 1219.80 lakh to Rs.2021.80 lakh vide notification number S.O.3148(E) dated 17th October, 2013;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.2021.80 lakh to Rs.2971.80 lakh and also extension of area of work throughout Maharashtra in addition to existing area, i.e., Pune, Aurangabad, Wardha districts of Maharashtra and Sikar district of Rajasthan;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs.2021.80 lakh to Rs.2971.80 lakh and also extension of area of work throughout Maharashtra in addition to existing area, i.e., Pune, Aurangabad, Wardha districts of Maharashtra and Sikar district of Rajasthan for the remaining period of the approval, i.e. upto 31st March, 2016;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.878(E) dated the 30th November, 1992, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (3) the following may be added to the area of work under the project "Integrated Rural Development Project", "throughout Maharashtra in addition to existing area, i.e., Pune, Aurangabad, Wardha districts of Maharashtra and Sikar district of Rajasthan' and in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 2021.80 lakh", the letters, figures and words "Rs. 2971.80 lakh" shall be substituted.

[No. 103/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 2015

सां0 आ0 474 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''हिंदुजा फाउंडेशन, हिंदुजा हाऊस,171,डा० एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400018'' द्वारा "धर्म हिंदुजा मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3.10 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 22 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''हिंदुजा फाउंडेशन, हिंदुजा हाऊस,171,डा० एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400018'' द्वारा चलाई जा रही "धर्म हिंदुजा मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप'' की परियोजना अथवा स्कीम को 3.10 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 104/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस.ओ.(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 474 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 22, "Dharam Hinduja Merit-cum-means scholarship" by "Hinduja Foundation, Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.10 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Dharam Hinduja Merit-cum-means scholarship", which is being carried out by "Hinduja Foundation, Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018", without any change in the approved cost of Rs. 3.10 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 104/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 475 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 466 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 'बाल कल्याण के लिए दिल्ली परिषद, कुदिसिया बाग, यमुना मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054" द्वारा "आंगनवाड़ी कमगोरों का प्रशिक्षण केंद्र, विकलांग बच्चों के लिए विकलांग चिकित्सा केंद्र, पड़ोसी राज्यों के लिए विकलांग संबंधी आउटरीच कार्यक्रम, मंदबुद्धि बच्चों के लिए बात चेतना कार्यक्रम, गंदी बस्ती और पुनर्वास क्षेत्रों के लिए क्रेच कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पालना गोद लेना कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम, सहायक सेवाए" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 34 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. सां. आ. 640(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. सां. आ. 3033(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि 10.83 करोड़ रुपए की परियोजना लागत को 16.26 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना की लागत को 10.83 करोड़ रुपए, से 16.26 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिनांक 29.03.2007 की उक्त अधिसूचना सं. सां. आ. 466 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (34), कालम (4) के सामने सारणी में, "10.83 करोड़ रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "16.26 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

(सं0 105 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 475 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated the 29th March, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 34, "Anganwadi workers' training center, Orthopedic centre for handicapped children, Orthopedic outreach programme for neighboring states, Balchetna programme for mentally challenged children, Creche programme for slum & resettlement areas, Vocational training programme, Working children's programme, Supervised home work scheme, Palna home for abandoned children and Palana adoption programme, Sponsorship programme, Auxiliary services" by "Delhi Council for Child Welfare, Qudsia Bagh, Yamuna Marg, Civil Lines, Delhi 110054", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was further extended vide notification number S.O 640(E) dated 22.3.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O. 3033(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the project cost of Rs. 10.83 crore is likely to be amended as Rs. 16.26 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs. 10.83 crore to Rs. 16.26 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 466(E) dated the 29th March, 2007, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (34), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs 10.83 crore", the letters, figures and words "Rs. 16.26 crore" shall be substituted'.

[No. 105 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी, 2015

सां0 आ0 ५७६ (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10.03.1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, (गुजरात राज्य शाखा), डा. विक्रम साराभाई रोड़, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380015" द्वारा "गुजरात राज्य में दृष्टिहीनों का पुनर्वास और शिक्षा" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 13 पर अधिसूचित किया गया ; जिसे बाद में दिनांक 23.03.2000 की अधिसूचना सं. सां. आ. 158(अ0) के तहत निर्धारण वर्ष 2000-2001 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.12.2002 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1383(अ0) के तहत निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 04.09.2006 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1417(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के साथ आरंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2395(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 16.03.2012 के अधिसूचना सं. सां. आ. 463(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 4.09.2006 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1417(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 54.45 लाख रुपए से 1.22 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था और दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2395 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 1.22 करोड़ रुपए से 3.43 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सतरह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, (गुजरात राज्य शाखा), डा. विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380015" द्वारा चलाई जा रही "गुजरात राज्य में दृष्टिहीनों का पुनर्वास और शिक्षा" की परियोजना अथवा स्कीम को 3.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 106 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 476 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.180(E) dated the 10th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "Rehabilitation and Education of the blind in Gujarat State" by "National Association for the Blind, (Gujarat State Branch), Dr. Vikram Sarabhai Road, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat – 380015", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998; which was extended further vide notification number S.O.158(E) dated the 23rd March, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001; which was extended further vide notification number S.O.1383(E) dated the 30th December, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.1417(E) dated the 4th September, 2006 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 2395(E) dated 3rd October, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 463(E) dated 16.3.2012 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O.1417(E) dated the 4th September, 2006 the estimated cost was enhanced from Rs. 54.45 lakh to Rs.1.22 crore and vide notification number S.O.2395(E) dated 3rd October, 2008 the estimated cost was enhanced from Rs. 1.22 crore to 3.43 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seventeen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- hereby notifies the scheme or project "Rehabilitation and Education of the blind in Gujarat State", being carried out by National Association for the Blind, (Gujarat State Branch), Dr. Vikram Sarabhai Road, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat – 380015 without any change in the approved cost of Rs. 3.43 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 106/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 477 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30.11.1992 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 878 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "दिल्ली बधिर संघ, 92,कमला मार्केट, नई दिल्ली-110022" द्वारा "बधिरों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1993-94 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 03.05.1995 की अधिसूचना सं० सां०आ० 404 (अ०) के तहत निर्धारण वर्ष 1996-1997 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.05.1998 की अधिसूचना सं० सां०आ० 437 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2001 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1049 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं० सां०आ० 717 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1314 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2526 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 21 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "दिल्ली बधिर संघ, 92,कमला मार्केट, नई दिल्ली-110022" द्वारा चलाई जा रही "बधिरों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.00 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 बीत चुका है अत: यह अधिसूचित होगा कि उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

(सं0 107/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस/ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 477 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.878(E) dated the 30th November, 1992, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Research and Rehabilitation Centre for the Deaf" by "Delhi Association of the Deaf, 92, Kamla Market, New Delhi – 110022", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-1994; which was extended further vide notification number S.O.404(E) dated the 3rd May, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O.437(E) dated the 20th May, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.1049(E) dated the 18th October, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.717(E) dated the 25th May, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. 1314(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was further extended vide notification number S.O. 2526(E) dated 11.10.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twenty one years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Research and Rehabilitation Centre for the Deaf" being carried out by Delhi Association of the Deaf, 92, Kamla Market, New Delhi – 110022, without any change in the approved cost of Rs.1.00 crore, for a further period of three years beginning with the financial year 2013-14 i.e., financial year 2013-14, 2014-15 & 2015-16, Since the financial year 2013-14 has already lapsed it would be notified that no exemption shall be available for the said finance year 2013-14.

[No. 107/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 478 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1860 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''अमर सेवा संगम, पोस्ट बॉक्स नं० 1, सुलोचना गार्डन्स,7-4-104बी, तेनकासी रोड, अयीकुडी-627852, तमिलनाडु'' द्वारा ''वैल्ली फॉर द डिसेबल्ड'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती खर्चों के लिए 8.76 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर और 26.90 करोड़ रू0 की कॉपर्स निधि के रूप में एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 12 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''अमर सेवा संगम, पोस्ट बॉक्स नं० 1, सुलोचना गार्डन्स,7-4-104बी, तेनकासी रोड, अयीकुडी-627852, तमिलनाडु'' द्वारा चलाई जा रही ''वैल्ली फॉर द डिसेबल्ड'' की परियोजना अथवा स्कीम को 26.90 करोड़ रू0 की कॉपर्स निधि के रूप में और आवर्ती व्यय के लिए 8.76 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात

2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 108 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

N O T I F I C A T I O N

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 478(E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1860(E) dated 11.8.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12, "Valley for the Disabled" by "Amar Seva Sangam. Post Box No.1, Sulochana Gardens, 7-4-104B, Tenkasi Road, Ayikudi-627 852, Tamil Nadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.8.76 crore for recurring expenses and Rs. 26.90 crore as corpus fund, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Valley for the Disabled" being carried out by "Amar Seva Sangam. Post Box No.1, Sulochana Gardens, 7-4-104B, Tenkasi Road, Ayikudi-627 852, Tamil Nadu", without any change in the approved cost of Rs.8.76 crore for recurring expenses and Rs. 26.90 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 108 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 479 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10.03.1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "कैंसर पेशेन्ट ऐड एसोसिएशन,5, मल्होत्रा हाउस, फोर्ट मुंबई-400001" द्वारा "(क) भवन उपस्करों का नवीनीकरण और मुंबई महाराष्ट्र में कैंसर डिटेक्शन यूनिट की साज-सज्जा ; और (ख) अहमदनगर, नादेड, बुलडाना, परबनी, अकोला, अमराबती, यवतमाल, जलगांव, धूले, बीड और मुंबई, महाराष्ट्र में कैंसर जागरूकता, शिक्षा और पता लगाने के कैम्प" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 5.07.2000 की अधिसूचना सं. सां. आ. 638(अ0) के तहत निर्धारण वर्ष 2000-2001 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 9.01.2002 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1280(अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया ; जिसे दिनांक 3.02.2006 की अधिसूचना सं. सां. आ. 148(अ0) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ; और जिसे दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 246(अ0) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2400 (अ0) के द्वारा

वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "कैंसर पेशेन्ट ऐड एसोसिएशन,5, मल्होत्रा हाउस, फोर्ट मुंबई-400001" द्वारा चलाई जा रही "(क) भवन उपस्करों का नवीनीकरण और मुंबई महाराष्ट्र में कैंसर डिटेक्शन यूनिट की साज-सज्जा ; और (ख) अहमदनगर, नादेड, बुलडाना, परबनी, अकोला, अमराबती, यवतमाल, जलगांव, धूले, बीड और मुंबई, महाराष्ट्र में कैंसर जागरूकता, शिक्षा और पता लगाने के कैम्प" की परियोजना अथवा स्कीम को 365.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 109/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 479 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.180(E) dated the 10th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "(a) Renovation of building equipments and furnishing of Cancer Detection Unit at Mumbai maharashtra; and (b) Cancer Awareness, Education and Detection camps; at Ahmednagar, Nanded, Buldana, Parbhani, Akola Amravati, Yavatmal, Jalgoan, Dhule, Beed and Mumbai, Maharashtra" by "Cancer Patients Aid Association, 5, Malhotra House, Fort, Mumbai – 400001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998; which was extended further vide notification number S.O.638(E) dated the 5th July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001; which was extended further vide notification number S.O.1280(E) dated the 9th January, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.148(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.246(E) dated the 21st January, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number 2400(E) dated 18.10.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "(a) Renovation of building equipments and furnishing of Cancer Detection Unit at Mumbai maharashtra; and (b) Cancer Awareness, Education and Detection camps; at Ahmednagar, Nanded, Buldana, Parbhani, Akola Amravati, Yavatmal, Jalgoan, Dhule, Beed and Mumbai, Maharashtra" which is being carried out by "Cancer Patients Aid Association, 5, Malhotra House, Fort, Mumbai – 400001", without any change in the approved cost of Rs.365.67 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 109/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 480 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 234(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जैन सोशल फेडरेशन का आनंदऋषिजी अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, प्लाट नं. 124, आनंदऋषिजी मार्ग, अहमदनगर-414001 (महाराष्ट्र)" द्वारा "संयंत्र और मशीनरी की खरीद और संस्थापना, अवसंरचना का विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 15 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1477(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1395(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5)

के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "जैन सोशल फेडरेशन का आनंदऋषिजी अस्पताल और चिकित्सा अनुसांधान केंद्र, प्लाट नं. 124, आनंदऋषिजी मार्ग, अहमदनगर-414001 (महाराष्ट्र)" द्वारा चलाई जा रही "संयंत्र और मशीनरी की खरीद और संस्थापना, अवसंरचना का विस्तार" की परियोजना अथवा स्कीम को 11.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 110 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस.ओ.(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 490 (E) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.234(E) dated the 15th February, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, "Purchase and installation of plant and machinery, expansion of infrastructure" by "Jain Social Federation's Anandrishiji Hospital & Medical Research Centre, Plot No.124, Anandrishiji Marg, Ahmednagar-414001 (Maharashtra)", as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O.1477(E) dated 17th June, 2008 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1395(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Purchase and installation of plant and machinery, expansion of infrastructure" being carried out by "Jain Social Federation's Anandrishiji Hospital & Medical Research Centre, Plot No.124, Anandrishiji Marg, Ahmednagar-414001 (Maharashtra)", without any change in the approved cost of Rs.11.30 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 110/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 ५४) (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (I) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 708 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सुंदरम मेडिकल फाऊंडेशन, चेन्नै, शांति कालोनी, चौथा एवेन्यु, अन्ना नगर, चेन्नै, तमिलनाडु-600040" द्वारा "एसएमएफ-सीएएनएसटीओपी [कैंसर सपोर्ट थैरेपी टू ओवरकम पेन]" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 12 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.03.2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 761 (अ०) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1878 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "सुंदरम मेडिकल फाऊंडेशन, चेन्नै, शांति कालोनी, चौथा एवेन्यु, अन्ना नगर, चेन्नै, तमिलनाडु-600040" द्वारा चलाई जा रही "एसएमएफ-सीएएनएसटीओपी [कैंसर सपोर्ट थैरेपी टू ओवरकम पेन]" की परियोजना अथवा स्कीम को 121.00 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले

वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(सं0 111 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ (एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. (E).- 481 Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.708(E) dated the 25th May, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12, "SMF-CANSTOP [Cancer Support Therapy to overcome pain]" by "Sundaram Medical Foundation, Chennai, Shanti Colony, IVth Avenue, Anna Nagar, Chennai, Tamil Nadu – 600040", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.761(E) dated 18th March, 2009 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was further extended vide Notification number 1878(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "SMF-CANSTOP [Cancer Support Therapy to overcome pain]" which is being carried out by "Sundaram Medical Foundation, Chennai, Shanti Colony, IVth Avenue, Anna Nagar, Chennai, Tamil Nadu – 600040", without any change in the approved cost of Rs.121.00 lakh, for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 111 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 482 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट, 61-62, द्वारका नगर सोसायटी, बामरोली रोड, गोधरा-389001, जिला पंचमहल, गुजरात" द्वारा "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 64.30 लाख रू0 की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 64.30 लाख रू0 से बढ़कर 1.00 करोड़ रू0 होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 64.30 लाख रूपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रूपये करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा (क) "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट, 61-62, द्वारका नगर सोसायटी, बामरोली रोड, गोधरा-389001 जिला पंचमहल, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से

आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और

(ख) दिनांक 14 जून, 2011 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 1370 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 3 की सारणी के कॉलम 4 में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित कॉलम (4) में "64.30 लाख रू0" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "1.00 करोड़ रू0" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 112 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस/ओ/एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 482 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14th June, 2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Shri Annapurna trust" by "Shri Annapurna trust, 61-62, Dwarkanagar Society, Bamroli Road, Godhra 389001, District Panchmahal, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.64.30 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.64.30 lakh' to 'Rs.1.00 crore';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from 'Rs.64.30 lakh' to 'Rs.1.00 crore'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (a) notifies the scheme or project "Shri Annapurna trust" being carried out by "Shri Annapurna trust, 61-62, Dwarkanagar Society, Bamroli Road, Godhra 389001, District Panchmahal, Gujarat", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O. 1370(E) dated 14th June, 2011, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 64.30 lakh", the letters, figures and words "Rs. 1.00 crore" shall be substituted.

[No. 112 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 483 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "पूज्य तपस्वी श्री जगजीवान जी, महाराज चक्षु चिकित्सालय, पोस्ट पीतारबार, जिला बोकारो, झारखंड-82912" द्वारा "धर्मार्थ आंखों का अस्पताल चलाने (वर्ष 1981 से चिकित्सा उपचार और नि:शुल्क सर्जरी द्वारा इस क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए)" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 2.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "पूज्य तपस्वी श्री जगजीवान जी, महाराज चक्षु चिकित्सालय,

पोस्ट पीतारबार, जिला बोकारो, झारखंड-82912" द्वारा चलाई जा रही "धर्मार्थ आंखों का अस्पताल चलाने (वर्ष 1981 से चिकित्सा उपचार और नि:शुल्क सर्जरी द्वारा इस क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए)" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 113/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

N O T I F I C A T I O N

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 483 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Running a charitable eye hospital (for the economically weaker section of this region since 1981 affording medical treatment and surgeries free of cost)" by "Pujya Tapaswi Sri Jagjeevanjee, Maharaj Chakchu Chikitsalaya, Post Petarbar, District Bokaro, Jharkhand 829 12", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.55 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running a charitable eye hospital (for the economically weaker section of this region since 1981 affording medical treatment and surgeries free of cost)", which is being carried out by "Pujya Tapaswi Sri Jagjeevanjee, Maharaj Chakchu Chikitsalaya, Post Petarbar, District Bokaro, Jharkhand 829 12", without any change in the approved cost of Rs. 2.55 crore for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 113 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी, 2015

सां0 आ0 484 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2835 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052" द्वारा "3150 एक अध्यापक स्कूलों (ओटीएस) को चलाने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1554.88 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 19 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1926 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1926 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 1554.88 लाख रू0 से बढ़ाकर 3024.00 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 3024 लाख रू0 से बढ़कर 4524 लाख रूपए होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 3024 लाख रू0 से बढ़ाकर 4524 लाख रू0 करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052" द्वारा चलाई जा रही "3150 एक अध्यापक स्कूलों (ओटीएस) को चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को अधिसूचित करती है; और दिनांक 19 दिसंबर, 2011 की उक्त अधिसूचना सं० सां०आ० 2835 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित क्रम सं० (3), कॉलम (4) में, "3024 लाख रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "4524 लाख रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 114 /2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 484 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, "Running of 3150 One Teacher Schools" by "Bharat Lok Shiksha Parishad, A-131/3, Group Industrial Area, Wazirpur, Delhi 110052", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1554.88 lakh for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O.1926(E) dated 31.7.2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas by notification number S.O.1926(E) dated 31.7.2014 the estimated cost was enhanced from 'Rs.1554.88 lakh to Rs.3024.00 lakh';

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.3024 lakh to Rs.4524 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs.3024 lakh to Rs.4524 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.2835(E) dated 19.12.2011, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.3024 lakh", the letters, figures and words "Rs. 4524 lakh" shall be substituted'.

[No.114 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)

Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 485 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''सुभाग महिला उत्कर्ष ट्रस्ट, प्लॉट सं॰ 2234-एफ, फुलवाड़ी, हिल ड्राइव, भावनगर 364002-गुजरात'' द्वारा "दुखी और निराश्रित महिलाओं के लिए अल्प ठहराव गृह और हैल्पलाइन तथा बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवर्ती लागत'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 25 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''सुभाग महिला उत्कर्ष ट्रस्ट, प्लॉट सं॰ 2234-एफ, फुलवाड़ी, हिल ड्राइव, भावनगर 364002-गुजरात'' द्वारा चलाई जा रही "दुखी और निराश्रित महिलाओं के लिए अल्प ठहराव गृह और हैल्पलाइन तथा बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवर्ती लागत'' की परियोजना अथवा स्कीम को 25 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष

2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 115/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस. ओ. (एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 485 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14th June, 2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Recurring cost of short stay home and help line for distressed and destitute women, vocational training for unemployed women" by "Subhag Mahila Utkarsh Trust, Plot No.2234-F, Fulwadi, Hill Drive, Bhavnagar 364 002 -Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.58 crore including a corpus fund of Rs. 25 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Recurring cost of short stay home and help line for distressed and destitute women, vocational training for unemployed women" being carried out by "Subhag Mahila Utkarsh Trust, Plot No.2234-F, Fulwadi, Hill Drive, Bhavnagar 364 002 – Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 2.58 crore including a corpus fund of Rs. 25 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 115 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 486 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1649(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भाओराव देवरस सेवा न्यास,सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश" द्वारा माधव सेवा आश्रम (चिकित्सा राहत के लिए सहायता)" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "भाओराव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश" द्वारा चलाई जा रही "माधव सेवा आश्रम (चिकित्सा राहत के लिए सहायता)" की परियोजना अथवा स्कीम को 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से

प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है । चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35 क ग के तहत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

(सं0 116 /2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

N O T I F I C A T I O N

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 486 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1649(E) dated 12.7.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Madhav Seva Ashram (Assistance for medical relief)" by "Bhaorao Deoras Seva Nyas, Saraswati Kunj, Nirala Nagar, Lucknow 226020, Uttar Pradesh", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 13 crore including Rs. 10 crore as corpus fund for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Madhav Seva Ashram (Assistance for medical relief)", which is being carried out by "Bhaorao Deoras Seva Nyas, Saraswati Kunj, Nirala Nagar, Lucknow 226020, Uttar Pradesh", without any change in the approved cost of Rs. 13 crore including Rs. 10 crore as corpus fund for a further period of three years commencing with financial year 2013-14 i.e., financial year 2013-14, 2014-15, and 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, no exemption under Section 35AC shall be available for the said financial year 2013-14.

[No. 116 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 487 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 466 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय, पुलिस स्टेशन के पीछे, राष्ट्रीय राजमार्ग 8-ए, भचाऊ-कच्छ, गुजरात-370140" द्वारा "भराचा, कच्छ और हलवाद केंद्र सुरेंद्र नगर में लड़कियों के लिए छात्रावास, अनाथ आश्रम, विकलांग बच्चों के लिए सेंटर के आवर्ती व्यय" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 28 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.12.2010 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3063 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 30 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3063 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को '1.43 करोड़ रू0' से बढ़ाकर '50 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0' कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय, पुलिस स्टेशन के पीछे, राष्ट्रीय राजमार्ग 8-ए, भचाऊ-कच्छ, गुजरात-370140" द्वारा चलाई जा रही "भराचा, कच्छ और हलवाद केंद्र सुरेंद्र नगर में लड़कियों के लिए छात्रावास, अनाथ आश्रम, विकलांग बच्चों के लिए सेंटर के आवर्ती व्यय" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए 50 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम

के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 बीत चुका है अत: धारा 35 क ग के तहत उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी।

(सं0 117/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 487(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated 29th March, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 28,"Recurring expenses for the girls hostel, orphanage, centre for handicapped children at Bharacha, Kutch and Halwad centre at Surendranagar" by "Shri Navjivan Viklang Sevashray, Behind Polic Station, N.H. 8-A, Bhachau-Kutch,Gujarat-370140", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was further extended vide notification number S.O. 3063(E) dated 30th December, 2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O. 3063(E) dated 30th December, 2010 the estimated cost was enhanced from 'Rs.1.43 crore' to 'Rs.2.58 crore including corpus fund of Rs.50 lakh';

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three year.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project, "Recurring expenses for the girls hostel, orphanage, centre for handicapped children at Bharacha, Kutch and Halwad centre at Surendranagar", is being carried out by "Shri Navjivan Viklang Sevashray, Behind Polic Station, N.H. 8-A, Bhachau-Kutch,Gujarat- 370140", without any change in the approved cost of Rs.2.58 crore including corpus fund of Rs.50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with 2013-14 i.e., financial year 2013-14, 2014-15, and 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, no exemption under Section 35AC shall be available for the said financial year 2013-14.

[No. 117 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 488 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 135 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इस्कॉन फूड रिलीफ फाऊंडेशन, हरे कृष्ण लैंड, जुहू, मुंबई-400049" द्वारा "महाराष्ट्र में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 11 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं० सां० आ० 2378 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1865 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं० सां० आ० 2378 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 12.35 करोड़ से बढ़ाकर 49.38 करोड़ रू0 कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 49.48 करोड़ रू0 से बढ़कर 86.43 करोड़ रू0 होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों से अधिक बढ़ाने और परियोजना लागत को 49.48 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 86.43 करोड़ रूपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा (क) "इस्कॉन फूड रिलीफ फाऊंडेशन, हरे कृष्ण लैंड, जुहू, मुंबई-

400049'' द्वारा चलाई जा रही "महाराष्ट्र में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए अधिसूचित करती है; और

(ख) दिनांक 3 फरवरी, 2006 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 135 (अ०) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 11 की सारणी के कॉलम 4 में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित "49.48 करोड़ रू0" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों लिए "86.43 करोड़ रू0" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 118/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. (E).-498 Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.135(E) dated the 3rd February, 2006, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "Mid day meal to students in Maharashtra" by "Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai – 400049", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.2378(E) dated 3rd October, 2008 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O.1865(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O. 2378(E) dated the 3rd October, 2008, the estimated cost was enhanced from Rs. 12.35 crore to Rs. 49.48 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.49.48 crore' to' Rs.86.43 crore';

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from 'Rs.49.48 crore' to 'Rs.86.43 crore'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project "Mid day meal to students in Maharashtra", which is being carried out by "Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai – 400049", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O. 135(E) dated the 3rd February, 2006, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 11, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs.49.48 crore" the letters, figures and word "Rs. 86.43 crore" shall be substituted.

[No. 118 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 2015

सां0 आ0 489 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 743 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "गांधी भवन अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट, पोस्ट बॉक्स नं० 39, गांधीजी नगर, कुंडयम डाकघर, पथनापुरम, कोल्लम जिला, केरल" द्वारा "पददलित-वृद्धों के पुनर्वास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.29 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 11 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "गांधी भवन अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट, पोस्ट बॉक्स-नं० 39, गांधीजी नगर, कुंडयम डाकघर, पथनापुरम, कोल्लम जिला, केरल" द्वारा चलाई जा रही "पददलित-वृद्धों के पुनर्वास" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.29 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 119/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस\ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 489 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "Rehabilitation of Downtrodden-old aged" by "Gandhi Bhavan International Trust, Post Box No.39, Gandhiji Nagar, Kundayam PO, Pathanapuram, Kollam, district, Kerala", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1.29 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Rehabilitation of Downtrodden-old aged", which is being carried out by "Gandhi Bhavan International Trust, Post Box No.39, Gandhiji Nagar, Kundayam PO, Pathanapuram, Kollam, District, Kerala", without any change in the approved cost of Rs. 1.29 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 119 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 49० (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019" द्वारा "भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल गुवाहाटी का विस्तार और तलों की वृद्धि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-

700019" द्वारा चलाई जा रही "भारत सेवाश्रम अस्पताल गुवाहाटी का विस्तार और तलों की वृद्धि" की परियोजना अथवा स्कीम को 3.10 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 120/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 490 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12, "Maintenance & Renovation of existing building in the campus of Delhi Branch of the Sangha for providing better services to the beneficiaries belong to weaker section of the society and corpus fund to meet maintenance cost" by "Bharat Sevashram Sangha 211, Rash Behari Avenue, Kolkata – 700 019", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.10.41 crore including a corpus fund of Rs. 5 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Maintenance & Renovation of existing building in the campus of Delhi Branch of the Sangha for providing better services to the beneficiaries belong to weaker section of the society and corpus fund to meet maintenance cost.", which is being carried out by "Bharat Sevashram Sangha, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata -700019, West Bengal", without any change in the approved cost of Rs.10.41 crore including a corpus fund of Rs. 5 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 120 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena))
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी, 2015

सां0 आ0 491 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3.10.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2302(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "पुरकल स्त्री शक्ति समिति, गांव पुरकल, डाकखाना भगवंतपुर, देहरादून, उत्तराखंड" द्वारा पुरकल स्त्री समिति सशक्तिकरण -ग्रामीण विकास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 8.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "पुरकल स्त्री शक्ति समिति, गांव पुरकल, डाकखाना भगवंतपुर,

देहरादून, उत्तराखंड" द्वारा चलाई जा रही "पुरकल स्त्री समिति सशक्तिकरण -ग्रामीण विकास" की परियोजना अथवा स्कीम को 5.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 8.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(सं0 121/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 491 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Purkal Stree Samiti" by "Purkal Stree Shakti Samiti, Village Purkal, Post Office Bhagwantpur, Dehradun, Uttarakhand", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 8.00 crore including Rs. 5.00 crore as corpus fund for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Purkal Stree Samiti", which is being carried out by "Purkal Stree Shakti Samiti, Village Purkal, Post Office Bhagwantpur, Dehradun, Uttarakhand", without any change in the approved cost of Rs. 8.00 crore including Rs. 5.00 crore as corpus fund for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 121 /2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 2015

सां0 आ0 492 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.01.2009 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 121 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, 6ठा क्रॉस हचिन्स रोड, ऑफ हेन्नूर, लिंगराजापुरम, सेंट थॉमस टाऊन पोस्ट. बेंगलुरू-560084" द्वारा "1) प्रशिक्षण और रोजगार (शहरी और ग्रामीण), 2) ग्रामीण शिक्षा, 3) बागवानी प्रशिक्षण इकाई और 4) पुनर्वास और मोबिलिटी सहायता" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 27 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 9.10.2012 की अधिसूचना सं॰ 2405(अ॰) द्वारा 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, 6ठा क्रॉस हचिन्स रोड, ऑफ हेन्नूर, लिंगराजापुरम, सेंट थॉमस टाऊन पोस्ट, बेंगलुरू-560084" द्वारा चलाई जा रही "1) प्रशिक्षण और रोजगार (शहरी और ग्रामीण), 2) ग्रामीण शिक्षा, 3) बागवानी प्रशिक्षण इकाई और 4) पुनर्वास और मेबिलिटी सहायता" की परियोजना अथवा स्कीम को 5.19 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 122/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2014 एस/भो(पेन. सी)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11th February, 2015

S.O. 492(E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 121 (E) dated 12th January, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 27, "1) Training and employment (urban & rural), 2) Rural Education, 3) Horticulture Training Unit and 4) Rehabilitation & Mobility aids" by "The Association of People with Disability, 6th Cross Hutchins Road, Off Hennur, Lingarajapuram, St. Thomas Town Post, Bangalore 560 084". as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was further extended vide notification number 2405(E) dated 9.10.2012 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "1) Training and employment (urban & rural), 2) Rural Education, 3) Horticulture Training Unit and 4) Rehabilitation & Mobility aids" which is being carried out by "The Association of People with Disability, 6th Cross Hutchins Road, Off Hennur, Lingarajapuram, St. Thomas Town Post, Bangalore 560 084", without any change in the approved cost of Rs. 5.19 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 .

[No. 122/2015 / F.No.V.27015/4/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)